left to other people, to new entrepreneurs who are not monopolists in business and industry.

That is why today this Parliament has to worry about the conditions of the poor seamen, and we are trying to give them 8 per cent, or whatever is possible. I demand that it should be 10 per cent. What is 10 per cent of Rs. 150 after all?

When my hon. friend Shri Dahyabhai Patel, Shri Kamath and I along with other M.Ps. went to see a Jayanti ship, Shri Kamath said that the berth in which he travelled in the *Queen Marry* from London to New York was far worse than the both given to a seaman or workman in one of the Japanese built Jayanti tankers. That should be the comfort that we should demand for our seaman. Shri Kamath is now right here, and therefore I remember it well indeed. Seamen should have a good, little room with a bath room, which they must think of as their home, because for ten months in the year it is their home on the sea.

Today we have got 50,000 seamen, and by the end of the century there will be one million seamen, because our ships will increase a hundred fold then. Our tonnage has to go up to 25 million by 2000 if we want to take a pride of place. We have to be up and doing. We should also have submarines; otherwise, our merchant shipping and Navy will be in danger at the hands of neighbouring powers, powers in Southeast Asia who are arming themselves, who have submarines when we have none at present.

We must also not forget about the seamen in the small sailing ships. Take an individual owning three, four or five small sailing vessels. He will have 50 to 60 seamen on there all. What about the condition of these workers? In this Bill, is Parliament catering only for the big seamen who are in the international ships, or do we also cater for the little seamen who are on our coasts, who run the small sailing boats, who carry small loads of cargo from port to port, from Bombay to Karwar, Karwar to Tuticorin, from Calcutta to other places? These seamen, these sailors, perhaps earn only Rs. 25 to Rs. 40 per month their interests also will have to be protected. The highest quality of sacrifice made by an air force man or a man who goes up on the aeroplanes. The next in order are the people on the ships. They go down into the water. It is all nice and clean and a merry bed of roses on the sea, but when the ship goes down in the water, all is lost, and all these poor men are forgotten, nothing is remembered. I plead that the conditions of these seamen be improved, that especially when they are unemployed, they may be looked after. Foreign shipping companies which have been making enormous, fabulous profits throughout the last century and this century should be taken to task and asked to render proper justice, so that the salary of these seamen, who are getting Rs. 150 or a little more, is doubled. We the people of India and the Ministry of Shipping have a right to formulate proposals of that type and see that our seamen are well cared for.

13.30 hrs.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(Amendment of articles 1,2,3,4 etc.) —*Contd.*

By Shri Prakash Vir Shastri.

Mr. Deputy-Speaker: We will now take up non-official business.

The House will now proceed with the further consideration of the following motion moved by Shri Prakash Vir Shastri on the 3rd September, 1965:—

> "That the Bill further to amend the Constitution of India, be taken into consideration."

[Mr. Deputy Speaker.]

One hour and fifty-eight minutes are left.

Shri Bade (Khargone): The Minister is not here.

Mr. Deputy-Speaker: Government is represented. Every word is recorded and it will be conveyed to the Minister concerned.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) : उपाध्यक्ष जी मैं संविधान में संशोधन करने वाले विधेयक 1964 को उपस्थित करता हूं ।

इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रान्तीय सीमायें समाप्त कर देश में संघीय शासन प्रणाली के बजाय एकात्मक शासन प्रणाली की स्थापना की जाए। यह विधेयक, देश आज जिन कठिन परिस्थितियों में से इस समय गुजर रहा है और अपने जीवन मरण के संघर्ष से निकल रहा है तथा युद्ध की जो घटायें देश के आकाश में इस समय छाई हुई हैं उस वातावरण में रख रहा हूं. सम्भव है कि विधेयक जितना गम्भीर है, उतनी गम्भीरता से इस पर विचार न किया जा सके। लेकिन फिर भी यह मैं उचित समझता हूं कि इस युद्ध की समाप्ति के बाद, भारत को जब विजयश्री प्राप्त होगी, उसके बाद देश के सम्बन्ध में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लिये जायेंगे जो देश को पुष्ट बनाने और उस की अखण्डता की दृष्टि से आवश्यक होंगे। यह चर्चा उस समय बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। इसलिए भी इस विधेयक को इस समय उपस्थित करना मैं बहुत आवश्यक समझता हूं । उस समय जहां हम विचार करेंगे अपनी उन बातों पर कि किन भूलों के कारण हमें इस संघर्ष में फंसना पड़ा और कैसे आगे इस प्रकार की भूलों से देश को बचाया जाए? उस समय कोई पुष्ट निर्णय लेते समय इस पर भी विचार किया जा सकेगा।

इस विधेयक को उपस्थित करने के लिए मेरे मस्तिष्क में कौन सी भावनायें आईं मैं पहले उन्हें यहां उपस्थित करना चाहता हूं। अब से कुछ वर्ष पहले यहीं दिल्ली में देश में एक राष्ट्रीय एकता सम्मेलन बुलाया गया था और उस राष्ट्रीय एकता सम्मेलन के बाद उस समय के हमारे कर्णधारों ने एक राष्ट्रीय एकता परिषद का भी गठन किया था। जिससे देश में धीरे धीरे जो विभेद की प्रवत्ति बढ़ती जा रही है वह न बढ़ने पाए और देश एकता के सूत्र में बंध सके। उसके पीछे जो भावना थी और उस समय जिस प्रवृत्ति का उदय हो चुका था और उसके बाद भी जो प्रवृत्तियां आज उदय हुई हैं वे सब इस मेरे विधेयक को लाने की पृष्ठभूमि का कार्य कर रही हैं। प्रान्तों में जो केन्द्र से पृथक हो कर स्वतन्त्र रहने की प्रवृत्ति का उदय हो रहा है, इस एक कारण से भी मैं इस विधेयक को यहां उपस्थित कर रहा हूं ।

दूसरा कारण जो इस विधेयक को उपस्थित करने का है वह यह है कि भाषावार राज्यों के बनने के बाद हमारे देश में धर्म और जाति के आधार पर कुछ राज्यों की सीमायें निर्धारित करने के सम्बन्ध में भी आन्दोलन चल पड़े हैं ।

तीसरा उद्देश्य इस विधेयक को उपस्थित करने का यह है कि राज्यों के छोटे छोटे प्रश्नों पर पारस्परिक विवाद इतना उग्र रूप धारण कर लेते हैं कि उनका निपटारा करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे अभी कृष्णा-गोदावरी के पानी के सम्बन्ध में एक बहुत बड़ा विवाद महाराष्ट्र और आन्ध्र के मध्य चल रहा है। एक विवाद बैलगाम के प्रश्न को लेकर चल रहा है। गोआ के प्रश्न को ले कर भी विवाद चल रहा है। यह भी बहुत बड़े कारण हैं जो आज सोचने के लिए हमको विवश कर रहे हैं इस मामले पर और विचार के लिए एक वातावरण का निर्माण कर रहे हैं।

चौथा कारण यह है कि सत्ता का स्वाद जिन को लग जाता है उनके मस्तिष्क में

स्वार्थों का संघर्ष बढ़ने लगता है। आगे चल कर वह देश की अखण्डता के लिए बहुत हानिप्रद सिद्ध होता है। उदाहरण के लिए अब से कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश की जो स्थिति थी, जिस प्रकार खींचतान सत्ता के लिए वहां चल रही थी, उससे इस सदन के माननीय सदस्य भली भांति परिचित हैं। ऐसी बात नहीं है कि केवल उत्तर प्रदेश में ही यह स्थिति हो, लगभग सभी राज्यों में इस प्रकार की स्थिति है। एक सत्तारूढ़ गुट वहां है और एक असन्तुष्ट गुट। उत्तर प्रदेश के बाद पंजाब में आप देखें, बिहार में देखें, उड़ीसा में देखें, मध्य प्रदेश में देखें। जहां आप देखेंगे वहां इस प्रवृत्ति का उदय बराबर होता हुआ आप पायेंगे।

अभी इस युद्ध के शुरू होने के बाद एक समाचार पत्र ने एक व्यंग चित्र प्रकाशित किया था, उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में। उस कार्टून में उसने यह दिखाया था कि अयूब के और पाकिस्तान के इस आक्रमण का और कुछ परिणाम हुआ हो या न हुआ हो, यह परिणाम जरूर हुआ है कि श्री सी० बी० गुप्त गुप्त और श्री कमलापति त्रिपाठी के बीच में युद्धविराम हो गया है। आचार्य विनोबा भावे ने अभी पीछे अपने इलाहाबाद के एक भाषण में कहा था कि न जाने क्या प्रवृत्ति हमारे देश की बनती जा रही है कि जब बाहर का कोई राष्ट्र हमारे ऊपर आक्रमण करता है तो हम सब एक हो जाते हैं लेकिन जब कोई आक्रमण नहीं होता है तो फिर विभेद की प्रवृत्ति राज्यों में जाग पड़ती है। आचार्य विनोबा भावे के इस कथन के पीछे भी एक भावना झलकती है कि देश की एकता संकटकाल में ही नहीं सामान्य समय में भी बराबर बनी रहनी चाहिये। इस प्रकार से वातावरण का निर्माण हमको करना चाहिये।

एक और भी कारण इस विधेयक को यहां उपस्थित करने का है। राज्यों में अंधाधुंद व्यय करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है और केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय वित्त मंत्री इस पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। यह बड़ी शोचनीय स्थिति है। देश का जो समान विकास होना चाहिये वह नहीं हो पा रहा है और आज उस पर बड़ा विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। कहीं विकास की गति बहुत आगे है और किन्हीं राज्यों में विकास की गति बहुत पीछे है। यह भी एक कारण है इस विधेयक को यहां उपस्थित करने का। प्रान्तों में जो पारस्परिक झगड़े जैसा अभी मैंने कहा कि महाराष्ट्र और मैसूर का झगड़ा है, बंगाल और बिहार के झगड़े, बंगाल और असम के झगड़े, आंध्र और तेलंगाना के झगड़े हैं, वे न रहें, यह भी एक उद्देश्य इस विधेयक को लाने का मेरा है। इनके अतिरिक्त एक और सब से बड़ी बात यह है कि राज्यों और केन्द्र में कुछ शृंखला न होने से बहुत से आवश्यक और महत्वपूर्ण मामलों में निर्णय लेने में बहुत देरी हो जाती है। उससे जनता और देश को हानि उठानी पड़ती है। ये सब कारण हैं जिन की पृष्ठभूमि में मैंने इस विधेयक को यहां उपस्थित करने का निश्चय किया है।

हमारे देश में सब से बड़ी भूल उस समय हुई जब हमने भाषावार राज्य बनाने का निर्णय किया। इसी सदन में और राज्य सभा में भी हमारे पहले प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने कई बार यह घोषणा की थी कि भाषावार राज्य बनाने से देश की अखंडता संकट में पड़ जाएगी। लेकिन आंध्र में पोट्टी श्री रामलू के देहावसान के बाद कुछ ऐसे वातावरण का निर्माण हुआ कि जो सरकार झुक गई और फिर दूसरे राज्यों में जिस संघर्ष की प्रवृत्ति का उदय हुआ मुझे उन दुःखद घटनाओं की पुनरावृत्ति आज नहीं करनी है। लेकिन प्रतीत होता है कि सरकार ने अपनी भूल का प्रायश्चित करने का निश्चय बाद में किया। भूल का सुधार या प्रायश्चित करने का निर्णय क्षेत्रीय परिषदों का निर्माण कर के किया। पांच क्षेत्रीय परिषदें सारे देश को मिलाकर बनाई जायं और धीरे धीरे कई राज्यों की जो एक क्षेत्रीय परिषद हो और उसको कुछ अधिकार दिये जायं। पर दुर्भाग्य यह रहा कि क्षेत्रीय परिषदों को अधि-

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

कार देने में या उनके अधिकार क्षेत्र बढ़ाने में अगर हमारे देश में कोई सरदार पटल जैसा प्रभावी व्यक्तित्व होता तो शीघ्र सफल हो जाता और क्षेत्रीय परिषदें अच्छा रूप धारण कर लेतीं। लेकिन अभी तक वह प्रवृत्ति नहीं बन पाई। मैं नहीं कह सकता कि जिन भावनाओं को ले कर मैं आज इस विधेयक को उपस्थित कर रहा हूं, दूर तक जा कर सरकार और सम्बद्ध मंत्री महोदय वहां तक निर्णय ले सकेंगे या नहीं ?

जैसी एक पहले भूल हमने भाषावार राज्यों का निर्माण करके की उसी प्रकार की दूसरी भूल हम अब करने जा रहे हैं, संघी लोक सेवा आयोग में चौदह भाषाओं को माध्यम बना कर। इससे मुझे खतरा है कि कहीं हमारे देश में जो एकता अब है वह भी टूट न जाय। देश विश्रृंखल न हो जाय, आगे चल कर कहीं हम आपस में न लड़ मरें। हमारे देश में महाभारत क्यों हुआ ? महाभारत का युद्ध होने से पहले भी यह देश छोटे छोट टुकड़ों में बंट गया था, कहीं जरासन्ध का राज्य था, कहीं शिशुपाल का राज्य था और कहीं किसी और का राज्य था। भगवान कृष्ण ने देखा कि छोटे छोटे इस प्रकार के टुकड़े देश की अखंडता में बड़े भारी बाधक हैं इसलिए उन्होंने इस देश में एक संग्राम की पृष्ठभूमि बनाई। और उसी पृष्ठभूमि में सारे देश को एकता के सूत्र में बांधा। जो भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बंटा हुआ था वही फिर आगे जा कर महान् भारत के रूप में परिणत हो गया इसीलिए उसका नाम ही महाभारत पड़ा। इस प्रकार महाभारत का इतिहास है।

यह कहा जा सकता है कि आज अठारह साल की स्वतंत्रता के बाद हम इतने पीछे कैसे लौट आयें ? जो निर्णय हम 1950 में अपने संशोधन में ले चुके हैं, उन निर्णयों से पीछे लौटना शायद सम्भव न हो। लेकिन मेरा अपना अनुमान है कि भूल जब भी सुधारी जा सके, अच्छा है। आज अभी अठारह साल का हमारा जनतंत्र है लेकिन पचास वर्ष के बाद तो और भी कठिन स्थिति हो जाएगी जब देश के अन्दर विभेद की प्रवृत्ति का और अधिक उदय हो जायगा। दूसरे हमें विश्व के इतिहास से भी कुछ शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये। दुनिया में इस समय 87 देश हैं। उन 87 देशों में 70 देश ऐसे हैं जहां पर यूनिटरी फार्म आफ गवर्नमेंट काम कर रही है। 17 देश केवल ऐसे हैं जहां पर फैडूल गवर्नमेंट है या दूसरी प्रकार की सरकारें हैं। सोचा यह जा सकता है कि क्या जनतंत्र के साथ एकात्मक शासन प्रणाली का समन्वय हो भी सकेगा ? जनतन्त्र के साथ एकात्मक शासन प्रणाली का सम्बन्ध किस प्रकार हो सकता है? इसका उदाहरण हम ब्रिटेन और अमरीका की शासन पद्धति से देख सकते हैं कि उन्होंने किस प्रकार एकात्मक शासन प्रणाली और जनतन्त्र के समन्वय किया है। मेरा अपना सुझाव है कि हम धीरे धीरे देश में इस प्रकार के वातावरण का निर्माण करें कि राज्यों की यह छोटी छोटी सीमायें समाप्त हो कर देश का शासन केवल पांच भागों में विभक्त कर दिया जाये। सर्वोच्च सत्ता संसद के हाथ में हो और जो केन्द्रीय मंत्रिमन्डल हो उस के द्वारा सारे देश की शासन पद्धति चले। इस प्रकार के वातावरण का निर्माण हमें मिल कर इस देश में करना चाहिये।

मैं अपनी बात की पुष्टि में भूतपूर्व राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद की चर्चा भी यहां करना चाहूंगा। इस समस्या को हमारे देश के कई प्रमुख चिन्तकों ने समय समय पर उठाया है। सब से अधिक बलवती भाषा में इस समस्या को उठाया है जस्टिस मेहरचन्द महाजन ने। उन्होंने इस सम्बन्ध में एक पुस्तक भी लिखी है और देश के कई प्रमुख पत्रों में भी लेख भी लिखे है। जस्टिस महाजन ने इस सम्बन्ध में कई प्रमुख व्यक्तियों को पत्र भेजे थे उन पत्रों में से एक पत्र उन्होंने भूतपूर्व राष्ट्रपति राजेन्द्र बाबू को भी लिखा था राजेन्द्र

बाबू ने जस्टिस महाजन के पत्र का जो उत्तर दिया था मैं उस का थोड़ा सा भाग पढ़ कर सुनाना चाहता हूं । राजेन्द्र बाबू ने जस्टिस महाजन को लिखा था :

> " मैं यह जानता हूं कि पृथकतावादी प्रवृतियां इस समय देश में विद्यमान हैं । संविधान सभा में भी कुछ लोग एकीकरण के इच्छुक थे और उसी के परिणाम स्वरूप कुछ उपबन्ध बनाये गये जिनके अन्तर्गत केन्द्र को शक्तियां प्रदान की गईं परन्तु प्रान्तों को केन्द्र के प्रभाव में लाने के लिये हम इससे अधिक कुछ नहीं कर पाये । मैं नहीं जानता कि यह भावना अब भी मौजूद है या नहीं । दूसरी ओर यह सम्भव है कि वह भावना और भी दृढ़ हो गई । जैसा कि भाषा के आधार पर बने राज्यों की मांग से स्पष्ट है या जिन बड़े राज्यों में एक ही भाषा है उनको विभाजित कर छोटे राज्यों में बांटने की मांग की जा रही है । जहां तक सामने से आक्रमण असफल हो जाय वहां पर यह संभव है कि बगल से कोई उपाय सफल हो मेरे विचार में यह अधिक लाभप्रद होगा कि कोई ऐसा उपाय निकाल सकें जिस से राज्यों की शक्ति किसी प्रकार धीरे धीरे कम की जा सके । और केन्द्र के हाथों में अधिक शक्ति दी जाये । विशेषतया ऐसी शक्तियां जो एकता की भावना पैदा करने में सहायक हों और पृथकतावाद की प्रवृत्ति को क्षीण करें । यह न केवल कम से कम प्रतिरोध का मार्ग होगा बल्कि विभिन्न राज्यों में होने वाली घटनाओं को देखते हुए आवश्यक भी है । "

राजेन्द्र बाबू जैसा कुशल और चिन्तनशील मस्तिष्क भी इस बात को अनुभव करता था । आज से कई वर्ष पहले देश को एकता के सूत्र में बनाये रखने के लिये उन्होंने आवश्यक माना कि हम यहां क्षेत्रीय परिषदें या इसी प्रकार के संगठन बनायें जिस के आधार पर देश की एकता बढ़े और सारे अधिकार उस के हाथ में आते चले जायें तथा देश में सत्ता का एकीकरण होना चाहिये ।

दूसरी सब से बड़ी बात मेरे इस विधेयक को उपस्थित करने के पीछे यह भी है कि दुर्भाग्य से भी धीरे धीरे ज्यों ज्यों समय बढ़ता चला जा रहा है, हमारे देश में अखिल भारतीय व्यक्तियों का अभाव होता चला जा रहा है, प्रान्तीय स्तर के व्यक्ति उभरते चले जा रहे हैं । सन् 1947 से पहले हमारे देश के नेताओं के सोचने की जो प्रवृति थी वह क्षीण होती चली जा रही है । इसलिये बहुत आवश्यक हो गया है कि हम अपनी नीति पर विचार करें और देश में इस प्रकार का वातावरण निर्मित करें जो सोचते समय हमारा दृष्टिकोण एक हो । जैसे इस समय हम युद्ध के वातावरण में एक हैं और सारा देश एक स्वर में बोल रहा है उसी प्रकार की प्रवृत्ति हमारे देश में युद्ध के अतिरिक्त समय में भी बनी रहे, इस प्रकार का वातावरण हमें देश की एकता के लिए बनाये रखना चाहिये ।

वैसे भी मैं एक बात अनुभव करता हूं कि भले ही हमारे देश में भिन्न भिन्न भाषायें हों, भिन्न भिन्न परिधान हों, भिन्न भिन्न प्रकार का रहन सहन का ढंग हो, लेकिन जहां तक सांस्कृतिक दृष्टिकोण का सम्बन्ध है, सारा देश आज भी एक सूत्र में बंधा हुआ है । अभी कुछ समय पहले मुझे नेफ़ा में जाने का अवसर मिला था नेफा में जो कि भारत के एक कोने पर है, वहां से तिब्बत की सीमा कुछ ही मील रह जाती थी, वहां एक छोटा सा तालाब हमें दिखलाया गया । उस तालाब के दिखलाने वाले ने परिचय दिया कि यह वह तालाब है जहां पांडवों ने बनवास

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

केसमय में पानी पिया था। महाभारत की कथा नेफा के जंगलों में सुनने को मिली। इसी प्रकार का प्रकरण हमें मद्रास में देखने को मिला। कुछ दिन पहले हम महाबलिपुरम देखने के लिए गये। महाबलिपुरम में पत्थर काटकाट कर चट्टानों पर जो स्मृति चिन्ह बने हुए हैं वहां लिखा हुआ है कि यह अर्जुन का रथ है, यह पांडवों का रथ है, वह भीम की गदा है। इस प्रकार से अगर देखा जाय तो नेफा और मद्रास की भाषा एक नहीं, नेफा और मद्रास के रहने का ढंग एक नहीं लेकिन सांस्कृतिक दृष्टि से सर्वत्र एकता ही एकता दिखलाई पड़ती है। जो कथायें नेफा में चल रही हैं वही सांस्कृतिक मद्रास में है, वही बंगाल में है, और वही कन्याकुमारी तक है। तो सारे देश में जो सांस्कृतिक एकता आज है उस में किसी प्रकार का विभेद पैदा न हो इसलिये आवश्यक है कि हम देश की एकता बनाये रखने के लिये सुदृढ़ कदम उठायें जगद्गुरु शंकराचार्य महाराज ने देश की एकता को दृष्टि में रख कर ही देश के चार कोनों पर चार धामों का निर्माण किया था, जहां से बैठ कर हम अपनी सांस्कृतिक एकता का संदेश देश को दे सकें।

हमारे यहां हिन्दुओं में एक पद्धति है प्रातःकाल जब वह स्नान करते हैं तो जो पुराने धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं वह एक श्लोक का उच्चारण करते हैं :—

गंगे च यमुने चैवं गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिन्धु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधि कुरु।"

मैं दिल्ली में स्नान नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा और जो सारे देश की बड़ी बड़ी नदियां हैं उन के मिश्रित जल में स्नान करता हूं। देश के लोग प्रथम स्नान करते समय सारी नदियों का स्मरण कर लेते हैं और देश की एकता और अखंडता को सामने रख कर तब अपना पूजापाठ प्रारम्भ करते हैं। मैं चाहता हूं कि स्वतन्त्र भारत में इन सारी भावनाओं के वातारवण का राज काज और प्रशासन में भी स्थान हो।

राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण जिस समय हमारे देश में हुआ था उस समय इस देश में 28 राज्य थे। वह छोटी छोटी 28 सीमायें थीं। जब राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी तो उसने अपने प्रतिवेदन में यह कहा कि ये सीमायें कम की जायें। राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी प्रतिवेदन में इन 28 राज्यों को समाप्त कर 16 राज्य बनाये का निर्णय किया। लेकिन आज हम इस विभेद की प्रवृत्ति के कारण फिर उल्टे मार्ग पर चल पड़े हैं। और इस समय राज्यों की संख्या 19 से 25 पहुंच गई हैं या 28 के निकट पहुंच गई है। यह मांग अभी बढ़ती ही चली जा रही है। हमारी स्थिति यह है कि यह विभेद की प्रवृत्ति और बढ़ गई। हम पीछे लौटना चाहते थे देश की एकता को सुदृढ़ करने के लिये और राज्यों की सीमायें बड़ी बनाने के लिये। लेकिन कुछ छोटे छोटे स्वार्थों ने राज्य पुनर्गठन आयोग के सामने जाकर इस के विरुद्ध बातें कहीं। राज्य पुनर्गठन आयोग के सामने जिन लोगों ने अपने ज्ञापन दिये थे उन्होंने ज्ञापनों में कहा था कि हम इतने मुट्ठी भर लोगों को सत्ता पृथक दे देनी चाहिये। मुट्ठी भर लोगों के लिये राज्यों के पुनर्निर्माण की प्रवृत्ति देश में दुबारा न चल पड़े और देश अलग अलग टुकड़ों में न बंट जायें इस के लिये अत्यन्त आवश्यक है कि हम देश में इस प्रकार से एकता की भावना का निर्माण करें।

अभी कल ही जिस समय हमारे प्रधान मंत्री जी वर्तमान स्थिति के सम्बन्ध में एक वक्तव्य दे रहे थे मैंने एक सुझाव के रूप में

कहा था, बल्कि मैंने इस प्रकार का एक विधेयक भी कुछ समय पहले उपस्थित किया था, हमने उस समय भूल की थी जब संविधान में काश्मीर की एक विशेष स्थिति मान कर धारा 370 रख ली । लेकिन अब जब हमने दृढ़ता से इस प्रकार का निश्चय कर लिया कि जम्मू और काश्मीर भारत का अभिन्न अंग है । जम्मू और काश्मीर के सम्बन्ध में कहीं कोई चर्चा नहीं की जा सकती तो फिर हम इस निर्जीव धारा को अपने संविधान में क्यों रखे हुए हैं ? इस से दूसरे लोगों को व्यर्थ में सन्देह पैदा होता है । हम केवल उस धारा को ही न हटायें बल्कि जम्मू और काश्मीर का एक छोटा सा टुकड़ा अथवा सो पीस बना कर भी उसे नहीं रखना चाहिये । हमें अपनी सीमाओं की रक्षा के लिये जम्मू काश्मीर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश को मिला कर एक सीमावर्ती सुदृढ़ राज्य की स्थापना करनी चाहिये । मैं तो इस के पक्ष में भी हूं कि यदि उचित अवसर हो तो इस में राजस्थान को भी मिला लिया जाये और उस को मिला कर एक बड़ा सीमा प्रान्त बनाया जाये ताकि कभी भी अपने देश की सीमाओं की ओर कोई शत्रु आंख उठा कर देख न सके । देश की सुरक्षा के लिये अत्यन्त आवश्यक है कि छोटी छोटी सीमायें समाप्त कर बड़े राज्यों का निर्माण इस देश में किया जाये ।

अभी कुछ दिन पहले शिक्षा मंत्री श्री चागला ने अपने विचार व्यक्त किये थे । जैसे डा० राजेन्द्र प्रसाद ने जस्टिस महाजन को उनके पत्र के उत्तर में लिखा था कि कम से कम ऐसी चीजों का समन्वय या एकीकरण हो जाना चाहिये जो देश में एकता की प्रवृत्ति को बढ़ावा दें, जैसे शिक्षा है । और श्री छागला ने प्रान्तीय सरकारों को पत्र लिखे थे । उन्होंने यह लिखा था कि हम शिक्षा को अगर समवर्ती सूची में या कम से कम विश्वविद्यालय स्तर की जो शिक्षा है उस को अगर केन्द्र के हाथों में लें, तो इस के बारे में उनका क्या विचार है । शिक्षा मंत्री ने सदन को बतलाया कि पंजाब का तो अनुकूल उत्तर आया है किन्तु बाकी प्रान्तों का कोई उत्तर नहीं आया है । अगर किसी का आया भी है तो वह अनुकूल नहीं है ।

यह बात मेरे विधेयक के उपस्थित करने में भी सहायक होती है । जिन को थोड़ा सा भी अधिकारों का आकर्षण हो जाता है वह अपने अधिकार को छोड़ना नहीं चाहते । लेकिन यदि इस तरह से हुआ तो सरकार देश की एकता को सुरक्षित नहीं रख सकेगी । उस को सुरक्षित रखने का प्रकार यही है कि जैसे शिक्षा है,या जो दूसरे ऐसे विषय हैं जो देश की एकता को बनाए रखने में और संगठित करने में सहायक हो सकते हैं उन को केन्द्र के हाथ में होना चाहिये ।

मैं अपनी इस राय के समर्थन में देश के कुछ प्रमुख व्यक्तियों की सम्मतियां भी यहां उद्धृत करना चाहता हूं । मैसूर के राज्यपाल श्री वी० वी० गिरि ने कुछ समय पहले इसी विषय पर एक बहुत अच्छा लेख लिखा था। मेरा स्वयं श्री गिरि साहब के साथ इस विषय पर पत्र-व्यवहार भी हुआ । तब उन्होंने इस विधेयक के सम्बन्ध में जो शब्द लिखे हैं वे बहुत विस्तृत हैं । लेकिन मैं उनका निचोड़ यहां आपके सामने प्रस्तुत करता हूं । श्री गिरि ने लिखा था कि :

> "मेरा वर्षों से यह विचार है यदि भारत को आन्तरिक शांति रखनी है तो यह एकात्मक राज्य स्थापना द्वारा ही सम्भव है ।"

हैदराबाद के एक बहुत बड़े न्यायाधिपति श्री मनोहर प्रसाद ने लिखा है :

> "हमारे देश के लिए एकात्मक शासन-व्यवस्था ही उपयोगी सिद्ध हो सकती है जिसमें केन्द्र शक्तिमान हो,

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

देश में सब मिलाकर पांच ही क्षेत्र होने चाहियें । मैं इस विचार से पूरी तरह सहमत हूं ।"

श्री के० एम० मुन्शी जी ने जो कि वर्षों तक इस सरकार में मंत्री रहे हैं और जो बड़े न्याय शास्त्री हैं, उन्होंने भी लिखा है :

"मैं एकात्मक शासन प्रणाली को देश की अखंडता के लिए सर्वोत्तम प्रणाली मानता हूं ।

जब इस विधेयक की चर्चा समाचारपत्रों में हुई तो बेलगाम के एक रिटायर्ड आई० सी० एस० श्री डी० वी० रेगे ने मुझे पत्र लिखा । मेरा उनसे परिचय नहीं था । समाचार पत्र में इस विधेयक की चर्चा पढ़ कर उन्होंने मुझे पत्र लिखा । श्री रेगे ने जो पत्र मुझे लिखा वह सारा तो मैं यहां नहीं पढ़ना चाहता लेकिन उनकी सम्मति का सारांश यहां देता हूं । उन्होंने लिखा है :

"ऐसा सामान्य अनुभव किया जाता है कि फेडरल गवर्नमेंट ज्यादा मजबूत हो जाती है किन्तु हमारे देश में ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि केन्द्र और राज्य सरकारें सब अपने आप को स्वतंत्र समझती हैं । हमारे संविधान में फेडरल किसम का होते हुए भी बहुत शक्ति है किन्तु उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है । कुछ राज्य यदि केन्द्र का निर्णय उनके हक में न हो तो उस पर विरोध दिखाते हैं । आन्ध्र प्रदेश के एक मिनिस्टर ने तो यहां तक कहा है कि यदि उनके राज्य में नदी का जो झगड़ा चल रहा है वह उनके हक में न हुआ तो वह केन्द्र से अलग हो जायेंगे ।

इसी तरह महाराष्ट्र-मैसूर की सीमा का झगड़ा पिछले 9 वर्षों से चल रहा है जो कि केन्द्र अभी तक हल नहीं कर सकी है । हमारे प्रधान मंत्री ने भी अनुभव किया है कि ये अन्तर्राज्यिय झगड़े देश को हानि पहुंचा रहे हैं और सम्भव है वह कुछ पग भी उठाएं । हमारे वर्तमान संविधान के आधार पर भी यदि केन्द्र कुछ शक्ति से काम करे तो इन समस्याओं का समाधान हो सकता है । अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बंगलौर अधिवेशन में इस संबंध में कोई ढांचा भी तैयार किया गया है ।

मद्रास के एक सज्जन श्री वेंकटा रमन ने बंगलौर की ए०आई०सी-सी० के अधिवेशन के लिये एक इस प्रकार का प्रस्ताव भेजा है । उन्होंने कुछ दूसरे प्रकार की ही अमरीकी राष्ट्रपति शासन पद्धति का सुझाव दिया है । मुझे इस में कोई आपत्ति नहीं यदि मेरे प्रस्ताव का कोई विकल्प कर लिया जाय । मेरा आग्रह यह नहीं है कि मेरा यह प्रस्ताव ज्यों का त्यों माना जाए, लेकिन जो इस प्रस्ताव के पीछे सिद्धान्त है वह मैं कहना चाहता हूं, पूरा हो ।

अभी कुछ दिन पहले अन्न के संबंध में जो क्षेत्रीय प्रणाली जारी की गयी उस में देखा गया कि कुछ ऐसे राज्य हैं जो अपनी आवश्यकता से अधिक अन्न पैदा करते हैं । लेकिन पड़ौस के राज्य को या तो वे अन्न देते नहीं और अगर अन्न देते हैं तो मुहं मांगी कीमत ले कर देते हैं । केन्द्र सरकार ने चाहा कि ऐसा न हो मगर आपको पता होगा कि खाद्य मंत्री और प्रधान मंत्री ने जो निर्णय दिया उससे कुछ मुख्य मंत्री सहमत नहीं थे । अभी यह बातें हलके रूप में चल रही है पर आगे चल कर इसका बड़ा भयंकर विस्तार हो सकता है । तो इन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए और जो प्रमुख न्याया-

धिपतियों की इसके पक्ष में राय है और मद्रास के एक प्रमुख व्यक्ति ने जो प्रस्ताव कांग्रेस कमेटी के लिये भेजा है और जो वातावरण आज बन गया है, उस सब को ध्यान में रखकर इस पर विचार किया जाए। आज यदि सम्भव नहीं हो तो जब हम इस युद्ध से निकल जाएं और युद्ध से निकलने के बाद देश की आंतरिक परिस्थितियों का हम निरीक्षण करें और निरीक्षण करें अपनी भूलों का उस समय देश के भविष्य के संबंध में एक इस प्रकार का दृढ़ निश्चय भी अवश्य लिया जाए कि केन्द्र मजबूत हो और केन्द्रीय शासन अधिक प्रभावी हो ।

एक बात मैं और इस प्रस्ताव के पक्ष में कहना चाहता हूं। आज संकटकालीन स्थिति में केन्द्रीय सरकार ने प्रान्तों के अधिकार भी अपने हाथ में ले रखे हैं। आज केन्द्र सरकार प्रान्तों के संबंध में भी जो चाहे दिल्ली में बैठ कर निर्णय दे सकती है। तो आज केन्द्र को इस प्रकार के अधिकार की आवश्यकता अनुभव क्यों हुई? यही मेरे विधेयक के समर्थन में सबसे बड़ा कारण है। केन्द्रीय सरकार अनुभव करती है कि उसके हाथों में प्रान्तों की अपेक्षा अधिक शक्ति रहनी चाहिये। मेरा सुझाव है कि सरकार को समय समय पर ऐसा निर्णय न लेना पड़े बल्कि इसके लिये कोई स्थायी व्यवस्था बना दी जाये। इस व्यवस्था को बनाने का सबसे सुगम उपाय यही हो सकता है कि जो भूल हमने संविधान बनाते समय की उसका हम आज प्रायश्चित कर लें और देश में संघीय शासन पद्धति के स्थान पर एकात्मक शासन पद्धति की स्थापना करें।

Mr. Deputy-Speaker: Motion moved:

"That the Bill further to amend the Constitution of India, be taken into consideration".

Is Shri Vishwa Nath Pandey moving his amendment? He is not here. Yes; Shri C. K. Bhattacharyya.

Shri C. K. Bhattacharyya (Raiganj): Shri Prakash Vir Shastri has brought foraward this Bill. This Bill may come with a shock to many after we have become habituated to a federal structure rule during the last 18 years, but even with that I should say, this Bill gives us food for thought even as an academic study. Shri Prakash Vir Shastri has referred to the requirements for establishing a unitary government in India from certain points of view. I might refer to certain other historical facts which will go to support the need for such a government in India. Whether the question is taken up or not, the matter requires consideration. That is my point of view.

The historical background in India goes to show that in Indian history there has been a continuous alternation between a centrifugal tendency and a centripetal tendency. Whenever there has been a centrifugal tendency, India suffered and when the centripetal tendency has prevailed, India has flourished; that is, India has flourished under a unitary government all through history. Whether we go to the time of Chandragupta or to the time of Asoka, or to the time of Samudragupta or we come to the time of Harshavardhana—these are all unitary governments—each one of these governments has left a record which forms a brilliant chapter in Indian history. Even if we go to the Moghul and the Pathan periods, we find that the government of Akbar is recorded as one of the most flourishing governments we had in India and that was a unitary government. In the same way, in the British period too, they tried to set up a unitary government.

I wish to give an experience of mine in this connection. When we adopted this Constitution framed by our Constituent Assembly, I met one of the very senior ICS officers and requested him to say how they were going to adapt themselves to the requirements of the new Constitution. He told me, "Mr. Bhattacharjee, you are asking us to do the exact opposite of what we have been trained to do. In fact, what we have been trained to do is this: the order proceeded from the Viceroy; it came to

[Shri C. K. Bhattacharyya]

the Home Member of the Viceroy's Executive Council; then it came to the Home Secretary and thereafter came to the Governor, then to the Chief Secretary and then to the Home Secretary and then it came to us. That is the system of administration. We have been used to, but they are now trying to teach us to do just the opposite of it". In fact, that is the way the system of British administration worked in India.

14 hrs.

As I have said, India did flourish in history when the unitary government came into existence. I shall now come to the Congress period; the present constitution-making originated with the Government of India Act, 1935; when it was being discussed and debated in the Round Table Conference, in fact, if I may say so, the Congress reluctantly agreed to this federal structure. One of the features of the federal structure was the independence or semi-independence of the constituent units. The Working Committee gave this direction to Gandhiji when he went to the Round Table Conference that the residual powers will vest in the constituent units. But that was given under the pressure of the Muslim League. At that time, an attempt was being made to see whether there could be unification of the demand to be presented by both the organisations. But when our Constitution was framed, the Constituent Assembly went exactly the opposite way to the direction of the Working Committee. The Constituent Assembly directed that the residual powers will vest in the Centre and not in the States though originally Gandhiji went to the Round Table Conference with the direction of the Working Committee that the residual powers will vest in the constituent units. That is, when we got the chance of framing our own Constitution, we tried to make it as much unitary as possible under the circumstances and the commitments that we had made.

Gandhiji was a member of the Federal Structure Sub-committee of the Round Table Conference, which was putting the Government of India Act of 1935 into shape. Speaking about federation he said—I hope I remember the report of his speech all right—"I do not understand all the implications of Federation. But Sir Tej Bahadur Sapru explained it to me and gave me certain books from which I now understand what Federation is". That shows that the mind of the sole representative of the Congress deputed to the Roud Table Conference, was working in a way not completely reconciled to the requirements of a Federal Constitution. When this Constitution was adopted, the Rt. Hon. Srinivasa Sastri came out with an article in the paper of the Servants of India Society. He almost wept over the fact that we had broken up the unity we had achieved during the British rule in order to have a Federal Constitution. The heading of that article was "Exit British India". He said, under the British rule we had achieved at least unity in the area known as British India. Now what we are going to do is to break up that unity. That was the way their mind was working.

In any case we have adopted the Federal Constitution and we have been seeing its working for the last 19 or 20 years. Shastriji has referred to the writings of Justice Mehr Chand Mahajan. I have also gone through his writings. A number of his articles appeared in Calcutta papers and papers in other parts of India also. These give food for thought. It is not essential that whatever Shastriji has proposed comes upon us as an obligation to accept or adopt at this very moment. But it is essential for us that keeping our eye on the historical background of India and the practical necessities, the main proposal he has made, *i.e.* the requirement of a unitary government in India, requires consideration even as an academic study, as I have stated in the beginning.

श्री बड़े (खारगोन) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री प्रकाशवीर शास्त्री जो संविधान संशोधन विधेयक लाये हैं वह बड़ा समयोचित है और मैं उसका समर्थन करता हूं। भारतीय जनसंघ ने अपने चुनाव मैनिफैस्टों में जो उद्देश्य जाहिर किये हैं उनमें भी उन्होंने यही कहा है कि हिन्दुस्तान को एकात्मक शासन की जरूरत है संघात्मक शासन की उसे जरूरत नहीं है। उस एकात्मक शासन का जो अर्थ किया गया था वह यह है:

"It is the given community of given individuals, viewed in a certain aspect, namely, political unity".

पोलिटिकल यूनिटी के वास्ते भारतवर्ष के सभी लोगों ने मिल कर यह निर्णय किया था कि हम सब एक रहेंगे, एक संस्कृति में रहेंगे एक हमारा देश रहेगा, एक हमारा शासन रहेगा। दो, सावरन, सार्वभौम सत्ता इस देश में नहीं रहेंगी। यह निर्णय करके शासन कायम किया जाता है। जो हमारा संविधान बनाया गया उस में लिखा हुआ है :—

"इंडिया दैट इज भारत, शैल बी ए यूनियन आफ स्टेट्स।" इस के लिये उन्होंने पहले ही निर्णय ले लिया कि इट विल बी ए यूनियन आफ स्टेट्स। सब संघों का एकत्रीकरण इंडिया यानी भारत; राज्यों का एकत्रीकरण इंडिया हुआ। अब स्टेट्स का अर्थ क्या है? उसका भी मतलब यह है कि यह राज्य है। यदि राज्य है ऐसा माना गया तो फिर सार्वभौम की उस में दुर्गन्ध आती है। राज्य तभी कहा जाता है जब उसको सार्वभौम सत्ता होती है। संघ में सार्वभौम सत्ता उसको नहीं होती, सार्वभौम सत्ता फिर दूसरी जगह चली जाती है। इस प्रकार की यूनियन तैयार की लेकिन ऐसी यूनियन तैयार करने के बाद भी हमने देखा कि तीन साल के अन्दर अन्दर मद्रास में आंध्र प्रदेश हो गया, हर एक बोरडर का झगड़ा शुरू हो गया। यह एक विचार विनिमय आया होगा और उसके साथ में इसी संविधान को 17, 18 दफे संशोधन करना पड़ा लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि एकात्मक शासन से ही हिन्दुस्तान का भला होगा या संघात्मक शासन से होगा या राज्यों के शासन से होगा?

हमारा पहले 1935 (?) में जो एक कानून था उस में उन्होंने फैडरल या संघात्मक शासन हिन्दुस्तान को दिया। 1935 का जो गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट के अनुसार दिया था वही कायम करके फिर संघात्मक प्रारूप तैयार किया गया। सन् 1935 में और भी राज्य थे जैसे कि होल्कर स्टेट थी, ग्वालियर स्टेट कहते थे, और उसी के साथ बाद में हैदराबाद स्टेट कहते थे उनको एक काल्पनिक तौर पर दिमागी तौर पर उनको सार्वभौम सत्ता थी लेकिन दरअसल ब्रिटिश लोगों की उनके ऊपर सत्ता थी, यह स्टेट्स ब्रिटिश सरकार की गुलाम हो गयी थीं। उनकी सार्वभौम सत्ता थोड़ी सी उन्होंने छीन ली थी, उन का झगड़ा चल रहा था कि सार्वभौम सत्ता ब्रिटिश राज्य में रहे या न रहे लेकिन तो भी वास्तविकता यह थी कि उन पर ब्रिटिश सरकार की सार्वभौम सत्ता कायम थी और दरअसल ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रभुसत्ता सम्पन्न थी। लेकिन मैंने देखा है कि यह जो कांस्टीट्यूशन हम लोगों ने देश के लिए बनाया वह एक खिचड़ी सी बना कर रख दिया है। आस्ट्रेलियाई, आइरिश, कैनाडा इन सब देशों के संविधानों को स्टडी करके और कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा इकट्ठा करके भानुमती ने कुनबा जोड़ा, वाली कहावत अपने संविधान के बारे में हमने चरितार्थ कर दी है। इंगलैंड की ईंट पसन्द आई तो उनकी तो ईंट ले ली और अमरीका का रोड़ा पसन्द आ गया तो उनका रोड़ा ले लिया और इस तरह इधर, उधर से उधार लेकर हमने अपना संविधान तैयार कर लिया। हमने यह नहीं देखा कि दरअसल हिन्दुस्तान की इस सम्बन्ध में क्या परिस्थितियां अथवा आवश्यकताएं हैं? हमारे देश के वह देशभक्त लोग जिन्होंने कि अंग्रेजों को

[श्री बड़े]

भारतवर्ष से निकालने के लिए कुर्बानी की थी उन के मन में एक पूरे संगठित भारत का मानचित्र था लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि हम उस रास्ते से हट गये और अब तो यह चिन्ता सवार है कि गोवा महाराष्ट्र में आयेगा या वह मैसूर में जायेगा। लेकिन हमारे देशभक्तों के मन में इस तरह की अलगाव की कल्पना भी नहीं थी। उन के मन में पूरे संगठित भारत की, काश्मीर से कन्याकुमारी तक फैले हुए, देश की कल्पना थी। उस सारे भारतवर्ष पर राज्य करने का ब्रिटिश सरकार को कोई भी अधिकार नहीं है यह भावना उस समय लोगों के मन में थी और उनको बाहर से निकाल कर ही हमारे देशवाससियों ने दम लिया। यह देशभक्ति की कल्पना उन लोगों के मन में थी लेकिन उनको क्या मालूम था कि आगे चल कर भारत इस तरह से विघटित होने वाला है? हमने देखा कि यहां पर स्टेट्स रिआर्गेनाइजेशन कमिशन नियुक्त हुआ। उस में हमारे मध्य प्रदेश का क्या कर दिया है? क्या हिन्दी भाषा भाषी क्षेत्र मध्य भारत एक जगह में है महाकौशल एक जगह हैं, किसी की भाषा कुछ है तो किसी की भाषा दूसरी है। अब हमारी भाषा हिन्दी मराठी मिक्स्ड है, आगे चल कर हम देखते हैं कि गुजराती मराठी मिक्स्ड है, महाकौशल में छत्तीसगढ़ी भाषा अलग है तो इस भाषा भाषी प्रदेशों को लेकर भी आज झगड़े हो जाते हैं। उसमें वह कहते हैं कि यह सी० पी० तो ए क्लास स्टेट है, चूंकि हमारी स्टेट बी क्लास है इस वास्ते इनफीरियर है और इसको लेकर अफसरों में झगड़े होते हैं। इस प्रकार की छोटी छोटी भावनाएं अलगाव की पैदा हो गयी हैं। फिर उन्होंने कहा कि हम महाराष्ट्रीय कितने हैं, हम पंजाबी कितने हैं? मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश वालों को ही नौकरी मिलेगी, मध्य प्रदेश वालों को पंजाब में नौकरी नहीं मिलेगी या पंजाब वालों को मध्य प्रदेश में नहीं मिलेगी। फिर मिनिस्टरों को भी लेकर झगड़ा चलता है। जिस स्टेट का प्रतिनिधि केन्द्र में मिनिस्टर बन कर जाता है तो उसे अपने राज्य का ध्यान रहता है। अगर राजस्थान से आया होगा तो उसे यही चिन्ता रहेगी कि राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा इन्डस्ट्रीज कायम हो जायें और महाराष्ट्र का होगा तो उसे महाराष्ट्र की चिन्ता सवार रहेगी कि कैसे वहां पर नयी नयी इंडस्ट्रीज सैट अप हो जायें। चूंकि मध्य प्रदेश का कोई मिनिस्टर नहीं होता है, इस लिए उसको कोई नहीं पूछता है।

इन बातों से प्रकट होता है कि संघात्मक शासन प्रणाली की वजह से हमारे देश में विघटनात्मक प्रवृत्तियां उत्पन्न हो गई हैं। बाद में शासन को यह प्रतीत हुआ कि यह ग़लती हो गई है। इसका निराकरण करने के लिए उसने हर एक विषय के लिए आल-इंडिया सर्विसिज स्थापित करना शुरू कर दिया, जैसे आल-इंडिया पुलिस सर्विस, आल-इंडिया एडूकेशन सर्विस, आल-इंडिया फारेस्ट सर्विस आदि। इस प्रकार केन्द्र ने धीरे धीरे राज्यों के मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है और उनको जो अधिकार दिये गए थे, वह उनसे वापस ले रहा है।

जैसा कि अभी शास्त्री जी ने बताया है राज्य सरकारों में भिन्न भिन्न विषयों पर पारस्परिक विवाद खड़े होते हैं। मध्य प्रदेश के चीफ़ मिनिस्टर का कुछ अन्य चीफ़ मिनिस्टरों के साथ अनाज देने के बारे में झगड़ा होता है। मध्य प्रदेश के चीफ़ मिनिस्टर कहते हैं कि हम ज्यादा अनाज नहीं दे सकते। यह बात भी समझ में नहीं आती है कि जब हिन्दुस्तान एक देश है, तो फिर यहां पर अलग अलग ज़ोन बनाने की क्या जरूरत थी। लेकिन शासन की ओर से फूड के बारे

में अलग अलग ज़ोन बनाए गए, जिन के कारण राज्यों में पारस्परिक झगड़े होते हैं ।

राज्यों में इस प्रकार का जो खराब वायु-मंडल पैदा हो गया है और देश भर में जो विघटनात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न हो गई है, उस को समाप्त करने के लिए देश में एकात्मक शासन प्रणाली लागू की जानी चाहिए । इस के दो फ़ायदे होंगे–एक आर्थिक फ़ायदा और दूसरा पोलीटिकल फ़ायदा ।

जहां तक आर्थिक पहलू का सवाल है, आज हम देखते हैं कि हर एक राज्य में सैकड़ों की संख्या में एम० एल० ए० और एम० एल० सी० हैं, जिन के वेतन और भत्तों पर बहुत व्यय होता है । इस के अतिरिक्त हर एक राज्य में बीस, तीस, चालीस, साठ मिनिस्टर हैं । मिनिस्टरों में भी अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं । हमारे राज्य में एक देशलहरा ग्रुप है और दूसरा मिश्र ग्रुप है । इसी तरह कई राज्यों में हरिजन ग्रुप भी हैं । उन सब ग्रुप्स के मिनिस्टर मंत्रि-मंडल में रखे जाते हैं, जिस का परिणाम यह होता है कि मिनिस्टरों की संख्या बढ़ती जाती है । इन सब का खर्चा लोगों को टैक्स के रूप में देना पड़ता है । अगर राज्यों की विधान सभाओं को तोड़ डाला जाये और केवल एक पार्लियामेंट रहे, तो वह सब खर्चा बच जायेगा । इस प्रकार जो रुपया बचेगा, उससे हमारे विभिन्न प्राजेक्ट्स चलाई जा सकेंगी और हमारे देश की आर्थिक उन्नति होगी ।

देश में एकात्मक शासन प्रणाली स्थापित करने का राजनीतिक फ़ायदा यह होगा कि देश में यह वायु-मंडल और यह भावना पैदा होगी कि भारत एक देश है, वह पूरे का पूरा, हमारा है, हम पंजाबी या महाराष्ट्रीय नहीं हैं, बल्कि हम सब भारतीय हैं और हम सब एक हैं, भाषा या क्षेत्र के आधार पर हम में कोई झगड़ा नहीं है ।

मेरे पास डब्ल्यू० एफ़० विल्लोबी द्वारा लिखित एक पुस्तक है "दि गवर्नमेंट आफ़ माडर्न स्टेट्स" । इस में लिखा है :

"The outstanding feature of the unitary system of government is, as the name implies, unity. All the powers of Government are concentrated in the hands of a single set of authorities. All the organs of Government constitute integral parts of one piece of administrative mechanism. All the force of Government can thus be brought to bear directly upon the problems of administration to be solved. There can be no conflict of authority, no conflict or confusion regarding responsibility for work to be performed, no overlapping of jurisdictions, no duplication of work, plan or organisation which cannot be immediately adjusted."

लेकिन संघात्मक राज्य में इस से बिल्कुल उल्टा काम होता है । उस में एकता की, यूनिटी की, कोई भावना नहीं होती है । जब संविधान तैयार हो रहा था, तो बहुत डिस्कशन के बाद यह निर्णय लिया गया कि सेंटर को ज्यादा पावर दी जाये । उस समय संविधान में तीन लिस्टें, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट्स लिस्ट और कानकरन्ट लिस्ट, रखी गई, जिन में केन्द्र और राज्यों के विषय दिये गए । परन्तु यह व्यवस्था करने के बावजूद झगड़ा होता है और खिचड़ी पकाने जैसी स्थिति होती है—सब खिचड़ी पकाते हैं और काम कोई नहीं होता है । उदाहरण के लिए यहां से शासन ने आदेश दिया कि आदिवासियों का इस प्रकार उद्धार होना चाहिए और इस बारे में यहां से आदेश जाते हैं, लेकिन हमारा शासन आदिवासियों का उद्धार करने के बजाय वही पैसा दूसरे काम में लगा देता है ।

देश में एकात्मक शासन प्रणाली लागू करने से इस प्रकार की डिस-इन्टेग्रेशन दूर हो जायेगी । इस से ये दो फ़ायदे होंगे–शासन पर खर्च होने वाला पैसा बचेगा और देश में यूनिटी की कल्पना को प्रोत्साहन मिलेगा ।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप का धन्यवाद करना चाहती हूं कि आप ने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया ।

इस बिल की तह में माननीय सदस्य, श्री प्रकाशवीर शास्त्री, की जो भावनायें हैं, उन का तो मैं स्वागत करती हूं । यह ठीक है कि आज सारे देश के अन्दर यह बात उठती है कि हमें जिस पारस्परिक विश्वास के साथ काम करना चाहिए था, वह विश्वास हमारे बीच में नहीं है, या जो सिद्धांत और उसूल हम ने बनाए हैं, या हमें एकीकरण और एकत्व में बांधने वाले जो काम हैं, उन की तरफ़ आज हमारा ध्यान नहीं है । परन्तु माननीय सदस्य ने अपने बिल की मार्फ़त जो दवा तजवीज़ और पेश की है, मैं उस से सहमत नहीं हूं ।

किसी भी देश का संविधान कोई एक बूटी नहीं है, जो बना कर किसी को पिला दी जाती है । एक देश का संविधान उस देश के संस्कारों का, उस की भावनाओं का और उस के इतिहास का, उस की वर्तमान परिस्थितियों का और भविष्य में उस के सामने आने वाली समस्याओं का एक खाका, एक तस्वीर होता है । मैं माननीय सदस्य, श्री बड़े, की इस बात को नहीं मानती हूं कि हम ने कुछ इधर से ले कर और कुछ उधर से लेकर अपना संविधान बनाया है । यह ठीक है कि दुनिया में जो संविधान काम कर रहे हैं, उन से हम ने कुछ तजुर्बा हासिल किया है और उस की बुनियाद पर, उस में कुछ अपना अंश डाल कर, हम ने अपना यह संविधान तैयार किया है । अगर हम अपने संविधान की किसी दूसरे से तुलना करना चाहेंगे, तो वह हम नहीं कर सकेंगे । कोई संविधान अच्छा हो या बुरा, वह तुलनात्मक दृष्टि से नहीं देखा जाता है । हमारा संविधान हमारी अपनी ही भावनाओं, संस्कारों और परिस्थितियों को लेकर बना है और उसी संविधान को ले कर हम आगे बढ़े हैं ।

मैं यह बात महसूस करती हूं कि हिन्दुस्तान की एकता के बारे में जब बात की जाती है और हम यह सोचने के लिए कुछ मजबूर हो जाते हैं कि आज हिन्दुस्तान में वह एकता नहीं दिखाई देती है, जो पहले दिखाई देती थी, तो क्या इस का दोष संविधान को है । संविधान ने कहीं इस तरफ़ इशारा नहीं किया है कि आपस में झगड़े हों या आपस में एकता न हो । यह दोष है हमारी प्रेरणाओं की कमी हो जाने का—यह दोष है हमारे संविधान में दिये गये सिद्धान्तों के अनुसार उचित संस्कार जिनको अंग्रेजी में कन्वेंशन्ज़ कहते हैं, न बनाए जाने का । हमको इतना मौका मिला है—अठारह वर्षों से हम को आजादी मिली है और 1950 से हमने यह संविधान लागू किया है— लेकिन हमको अपने मन से पूछना चाहिए, अपनी सरकार से भी पूछना चाहिए कि इस लम्बी अवधि में हमने ऐसे कौन से संस्कार बनाए हैं, जिन के द्वारा हम बिना देश की आत्मा को दबाए हुए उस को एकीकरण के सूत्र में बांध सकते हों ।

हमें भी इस बारे में तजुर्बा है । इतिहास हम लोगों ने भी पढ़ा है । हम जानते हैं कि ऐसे भी बड़े बड़े देश हैं, जिन में एक सरकार कायम हो गई । जहां प्रजातन्त्र नहीं था, बल्कि एक व्यक्ति या एक शाखा की हुकूमत कायम की लेकिन उन देशों का रकबा और उन की आबादी इतनी बड़ी थी उन देशों के अन्दर सिद्धान्त और संस्कार इतने अलग अलग थे कि एक आदमी की आत्मा में स्वतन्त्रता की जो स्वाभाविक अभिव्यक्ति थी, चूंकि उस को हमेशा प्रश्रय नहीं मिला, इसलिए वे बड़े बड़े देश और उनके शासन टूट गए । इतिहास में यह कोई पहला मौका नहीं है । इसलिए यह बात कहां लागू होती है कि किसी देश की एकता के सूत्र में बांधने का केवल एक ही तरीका है कि उस में एक सरकार हो जाये और भिन्न-भिन्न सरकारें न रहें ?

हमारे देश की खूबसूरती यही है कि इस में अलग अलग संस्कार और संस्कृतियां हैं, जो हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी धरोहर है, थाती हैं—जो केवल देश

के पैरों की बेड़ियां नहीं है, अंकुश नहीं है । मुझे रवीन्द्रनाथ ठाकुर की वह कविता याद आती है, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारे देश के भिन्न-भिन्न संस्कार हैं, हमारे देश की भिन्न-भिन्न परिस्थितियां है, संस्कृतियां हैं, जो कि हमें एक ऐसा देश बना देती है, जो बड़ा उन्नत देश है, बड़ा ऊंचा देश है और बड़ा रंगीन देश है ।

हम उस देश की कल्पना आज से नहीं, बल्कि बहुत पहले से करते आ रहे हैं । जब हमें अभी आजादी भी नहीं मिली थी, हम कांग्रेस के सदस्य यह ख्वाब देखते थे कि इस देश के हर कोने की प्रतिमा और संस्कार फले-फूलेगा और आगे आयेगा । परन्तु मैं यहां यह उल्लेख करना चाहती हूं कि आज लोगों के मन में देश की एकता के बारे में जो शंका उठती है, उसका कारण यह है कि हमने ऐसे संस्कार नहीं बनाए, जिनसे हमको एकता में बंध कर, एकनिष्ठ हो कर चलने में बहुत बड़ी सहायता या शक्ति या प्रेरणा मिल सके । इसका कारण यह नहीं है कि देश में संविधान गलत है । बल्कि इसका कारण और ही कुछ है । मैं जिस पार्टी की सदस्या हूं उस पार्टी पर मुझे फख्र है । मैं उस पार्टी की सदस्या हूं जिस पार्टी की आज सरकार यहां और प्रान्तों में बनी हुई है । इतना होते हुए भी मैं अपनी पार्टी के बारे में यह कहे बिना नहीं रह सकती हूं कि उसने इस बात पर तवज्जह नहीं दी है, एकत्व में देश को बांधने का प्रयास नहीं किया है, कोशिश नहीं की है । उसका एक बहुत बड़ा कारण है । जो भी सिद्धान्त हमने बनाया, जो भी योजना हमने बनाई, जब भी कोई कमिशन हमने बनाया और उसकी रिपोर्ट हमारे सामने आई तो कमिशन बनाने से पहले तो हमने हमेशा यह कहा कि कमिशन हम इस लिए बनाते हैं कि उसकी रिपोर्ट हमारे सामने आएगी तो वह लागू की जाएगी, परन्तु जब रिपोर्ट हमारे सामने आई तो हमने उसको बदल दिया, उन वसूलों तक को बदल दिया जिन को लेकर कमिशन बनाया गया था । मैं एक बुनियादी बात को लेना चाहती हूं । आजादी मिलने के बाद हमने अपना संविधान बनाया । तब हम में कोई अलग अलग धर्म काम नहीं कर रहे थे, अलग अलग पार्टियां काम नहीं कर रही थीं, आपस में कोई कशम-कश नहीं थी, मिलजुल कर हमने संविधान बनाया । लेकिन यह झगड़ा उस समय हुआ जब हमने स्टेट्स रिआर्गनाईजेशन कमिशन बनाया । उसकी रिपोर्ट हमारे पास आई । तब हमने उसकी सारी शक्ल में अदलाबदली करने की कोशिश की तब किसी राज्य का ज्यादा महत्व बढ़ गया, किसी राज्य के लोग ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हुए, ज्यादा शक्तिशाली साबित हुए और इस कारण से हमने जो जो सिफारिशें थी उनको बदलना शुरू कर दिया । एक बार जब बदलना शुरू किया तो कई परिवर्तन हम को करने पड़ गए । जिन की आवाज ऊंची निकली उनके पक्ष में हमने उसको बदल दिया । नतीजा यह हुआ कि जब बाद में हमने अपने सामने रिपोर्ट पाई तो बिल्कुल एक दूसरे ढांचे में पाई । पालियामेंट में जब वह रिपोर्ट मान ली गई उसके बाद भी चूंकि सरकार के ऊपर दबाव पड़ता रहा, हमारे केन्द्रीय शासन पर दबाव पड़ता रहा, इस वास्ते उसका फिर असर केन्द्रीय शासन पर हुआ । इस बोझ के आगे जब हम झुक गए तो यह हमारी कमजोरी थी न कि हमारे संविधान की कमजोरी । अगर केन्द्रीय शासन अपनी मान्यता पर कायम रहता और किसी के दबाव में न आता, किसी भी दल के या किसी भी शक्ति क दबाव में न आता तो आज यह बात यहां पर नहीं उठती ।

आज राज्यों में झगड़े क्यों हो रहे है । अभी माननीय सदस्य ने आन्ध्र के बारे में सवाल उठाया है और झगड़ों का जिक्र किया है । उसका एक कारण जो मेरी समझ में आता है उसको मैं आपको बतलाना चाहती हूं । पार्लियामेंट उसूल बनाती है, सिद्धान्त बनाती है और उनको लागू सरकार करती है । लेकिन

[श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा]

पार्लिमेंट को ग्रौर इस सदन को सिद्धांत बनाने से ग्रलग रखा जाता है। जब खाद्यान्न के बारे में झगड़ा होने लगा तो मुख्य मंत्रियों को यहां बुला कर उनके ऊपर इस चीज को थोप दिया गया कि वे योजना या सिद्धांत बना कर ग्रन्न का बटवारा किस तरह से हो, इस चीज को लागू करें। यह एक ऐसी जरूरी बात थी जो कि पार्लिमेंट को करनी चाहिये थीं। इस चीज को पार्लिमेंट के ग्रधिकार से ग्रलग करके, केन्द्रीय शासन से ग्रलग करके राज्यों पर जो यह छोड़ दिया गया यह ठीक नहीं किया गया। यह सीमा, यह दायरा राज्यों की सरकारों का नहीं होना चाहिये था। हमने कई बार खाद्य मंत्री जी से कहा है कि क्यों उन्होंने मुख्य मंत्रियों के हाथ में इस पालिसी को छोड़ दिया है। ग्रगर इसको पालियामेंट के हाथ में रखते ग्रौर मुख्य मंत्रियों से यह ग्राशा करते कि जो पार्लिमेंट की पालिसी है, संसद द्वारा जो पालिसी प्रतिपादित की जाती है उसको केन्द्रीय सरकार की मान्यता है ग्रौर राज्य सरकारों से वह इसको मनवाते तो ऐसी बातें नहीं खड़ी होतीं। ग्राप उनके इशारों पर चलने लगे ग्रौर इसका यह नतीजा है कि ग्राप से ग्राप कमजोर ग्राप होते चले गये।

जोनल रेस्ट्रिकशंज की बात भी होती है। कई गवर्नमेंट्स जोनल रेस्ट्रिक्शन नहीं चाहती हैं इसके उदाहरण भी दिये गए हैं...

उपाध्यक्ष महोदय : फूड पालिसी को हम डिसकस नहीं कर रहे हैं।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : खाद्यान्न की बात सारे देश पर लागू होती है ग्रौर सारे देश की यह समस्या है, ग्रौर उदाहरण भी दिये गये हैं, इसलिए मैं इसके बारे में कह रही हूं। यह जो खाद्यान्न के बारे में हमारी पालिसी रही है वह हमको कमजोर बना रही है।

दो तरह की समस्यायें हैं जिनकी ग्रोर मैं ला मिनिस्टर साहब का ध्यान खींचना चाहती हूं। एक समस्या तो यह है कि दो राज्यों के बीच में झगड़े कैसे निपटाये जायें। ग्राप कहते हैं कि ग्राप कमिशन बना कर उनका निपटारा करवायेंगे। कमिशन को वह मान्यता प्राप्त नहीं होती है जो होनी चाहिये। मैं चाहती हूं कि सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसी शाखा ग्राप स्थापित करे जो इन झगड़ों का निपटारा करवा सके। जिस तरह से इंटरनेशनल कोर्ट ग्राफ जस्टिस है ग्रौर वहां दो बड़े राष्ट्रों या छोटे राष्ट्रों के झगड़े जा सकते हैं, बटवारे के बारे में या किसी ग्रौर प्रकार के ग्रौर वह उन झगड़ों के बारे में फैसले सुनाता है उसी तरह से मैं ग्रपील करती हूं कि ऐसी ही एक सुप्रीम कोर्ट के ग्रन्दर ग्राप शाखा स्थापित करें जो कि दो राज्यों के झगड़ों के बारे में फैसले दे ग्रौर वे फैसले सभी को मान्य हों ग्रौर किसी को यह ग्रधिकार न हो कि वह उन फैसलों को बदल सके।

दूसरा सुझाव यह है कि ग्रार्थिक विकास का जो माध्यम है, जैसे पानी का हुग्रा, बिजली के बटवारे का हुग्रा या ग्रार्थिक ग्रनुदान के बटवारे का हुग्रा, उस के लिए भी ग्राप उसी तरह से कमिशन बनायें जिस तरह से ग्राप फाइनेंस कमिशन कायम करते हैं ग्रौर उसके एवार्ड को ग्राप मानें। जिस तरह से फाइनेंस कमिशन एवार्ड देता है उसी तरह से इंटर-स्टेट ऐसा कमिशन बना कर उसके एवार्ड को ग्राप मान्य बनाये, किसी को उस पर ग्रालोचना करने का ग्रधिकार न हो। इस तरह से जो झगड़े हैं वे मिट जायेंगे ग्रौर हमें कोई जरूरत नहीं है संविधान को बदलने की।

श्री गौरी शंकर कक्कड़ (फतेहपुर) : माननीय प्रकाशवीर शास्त्री जी ने जो संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया है, उसका मैं

समर्थन करता हूं । उनको इस विधेयक को लाने के लिये मैं बधाई भी देता हूं । इस प्रकार का संशोधन विधेयक अगर यहां पार्लियामैंट में मान लिया जाये तो वास्तविकरूप में एकता स्थापित हो सकती है ।

अभी हमारी बहन ने अपने भाषण में इस चीज को स्वयं स्वीकार किया है कि हमारे विधान में त्रुटियां होने के कारण आज जो भी हम सोचते है या संकल्प करते हैं वह पूरा नहीं हो पाता है । हम सोचते हैं कि शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण होना चाहिये, एक राष्ट्रीय पालिसी होनी चाहिये, खाद्यान्न के लिए एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण हम रखें परन्तु ऐसा सोचने पर भी हम उस प्रकार का दृष्टिकोण रख नहीं पाते हैं, इसमें हम समर्थ नहीं हो पाते है। इसका कारण यह है कि ये सब विषय हमने राज्यों के अधिकार क्षेत्र में दे दिये हैं और हमारे विधान में जो व्यवस्थायें की गई हैं वे हमारे मार्ग में आकर बाधक हो जाती है ।

हमने संविधान बनाया । लेकिन उसके बाद बहुत सी ऐसी चीजें आई कि एक बार नहीं, दो बार नहीं बल्कि पन्द्रह, सोलह या सतरह बार हमने अपने संविधान में संशोधन किया । यह जो विधेयक है यह भी हमारे विधान की प्रतिष्ठा के खिलाफ नहीं है । इस विधेयक को लाने का एक मात्र कारण यही प्रतीत होता है कि हमने 17-18 साल तक अपने विधान को चला कर देख लिया है और हम देखते हैं कि हमारे यहां बराबर जो त्रुटियां बढ़ती जा रही हैं, हम बराबर क्षीण होते चले जा रहे हैं, हमारे यहां एकीकरण नहीं हो पा रहा है । राज्यों को जो अधिकार हमने दे रखे हैं अपने विधान में, उन विषयों पर वे केन्द्र की कोई पालिसी या सुझाव मानने के लिए तैयार नहीं हैं । एक बार नहीं अनेकों बार इसी सदन में हमारे शिक्षा मंत्री श्री चागला जी ने इस चीज को स्वीकार किया है कि हमको बड़ा दुख है कि आज हम इतने बहुमत में होते हुए भी प्रर्याप्त तैयार नहीं है कि हम यूनिवर्सिटी की शिक्षा को कम से कम प्रान्तों से हटा कर फेड्रल लिस्ट में ले आयें । उन्होंने कहा है कि हम कोई भी नेशनल पालिसी शिक्षा की चला नहीं सकते हैं और इसका एक मात्र कारण यह है कि हम प्रान्तों के अधिकार क्षेत्र में शिक्षा का विषय दे दिया गया है । इसका नतीजा यह है कि भिन्न-भिन्न प्रान्तों में उनकी भिन्न-भिन्न पालिसी चलती है और अपने तौर से वे उसको संचालित करते हैं ।

एक और बात भी है जिस पर आपको ध्यान देना होगा । एक ही दल की सारे देश में हुकूमत होने पर भी, केन्द्र में तथा सभी प्रान्तों में हुकूमत होने पर भी हमने 17-18 साल के बाद यह देखा है कि उस सत्तारूढ़ दल का एक हाई कमांड होने पर भी, एक ए० आई० सी० सी० होने पर भी, उसको कोई सफलता नहीं मिली है कि वह अपनी पार्टी में एकता स्थापित रख सके, किसी भी विषय में राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपना सके, एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण सारे देश के सामने रख सके । आपको मालूम ही है कि सत्तारूढ़ पार्टी में दो इतने बड़े बड़े दल हो गये हैं कि विरोधी दल से ज्यादा उनकी संख्या हो गई है और आपस में वे लड़ते झगड़ते हैं और गुट बना कर रहते हैं । उसका परिणाम यह हुआ है कि व्यक्तिगतरूप से भी मंत्रियों ने यह कहा है कि अगर इस प्रकार की चीज नहीं होती है, अगर गोआ हमारे साथ नहीं मिलता है, तो हमारा त्यागपत्र हो जाएगा । वे यह भी कहते हैं कि अगर सीमा का झगड़ा इस प्रकार से हल नहीं होता है तो हम जिस जगह पर बैठे हुए हैं उस से हट जायेंगे । इस प्रकार के व्यक्तिगत लाभ के आधार पर यह चीज संचालित होने लगें तो इस के कितने भयंकर परिणाम हो सकते हैं, इसका आप अनुमान लगा सकते हैं । इसका दुष्परिणाम यह भी हो रहा है कि हमारे यहां रोज-ब-रोज क्षीणता बढ़ती चली जा रही है ।

[श्री गौरी शंकर कक्कड़]

जैसा कि अभी माननीय शास्त्री जी ने संकेत किया जब हमारे यहां संकटकालीन समय आया तो हमारे विधान में इस प्रकार की व्यवस्था अवश्य की गई है कि केन्द्रीय सरकार स्टेट किसी भी विषय को ले सकती है, उसको अपने नियंत्रण में रख सकती है। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि सत्तारूढ़ दल के एक असर के कारण, व्यक्तिगत असर के कारण आज इतने दिनों के बाद भी संकटकालीन स्थिति के इतने दिनों से जारी रहते हुए भी एक सिद्धान्त भी ऐसा नहीं आया है, एक विषय भी एसा नहीं आया है कि जिसमें इस सदन ने मजबूती से कदम उठा कर कोई एक राष्ट्रीय योजना बनाई हो। ऐसे समय पर इसका सदुपयोग किया जाता तो इससे बहुत फायदा होता। ब्रिटिश शासन काल में भी यह नहीं थी जो कि आज पिछले 17–18 सालों में बढ़ गई है। कारण इस का यह है कि किसी भी प्रान्त में सत्तारूढ़ दल है उस को सैंक्शन मिली हुई है कि वह अपना शासन चलाये। इसलिये उस में एक मनोवृत्ति आ जाती है कि हमारे ऊपर केन्द्र का अंकुश कैसा, हम को खुद अधिकार है। मेरी समझ में नहीं आता कि अभी हमारी बहन श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा ने यह सुझाव दिया कि केन्द्र यहां पर इस तरह का प्रस्ताव पास कर के उसे लागू कर सकता है। मैं समझता हूं कि उन्होंने अपने संविधान को देखा नहीं है। हम बिल्कुल बेबस हैं। हमारी तो बेबसी ऐसी है कि कुछ विषय ऐसे हैं जैसे कि खाद्य है, कृषि संबंधी कारपोरेशन है, कम्यूनिटी डेवेलपमेंट है, शिक्षा है, जिन को हम ने अपने प्रान्तों को दे दिया है। केन्द्र चाहता है कि उनके सम्बन्ध में कोई सेंट्रल नेशनल पालिसी हो, लेकिन जगह-जगह पर केन्द्र अपने मन की चीज चलाते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि केन्द्र का निर्णय हो चुका है कि सहयोग विभाग तमाम देश में नान आफिशिल एजेन्सी द्वारा चलें लेकिन जो प्रदेश सरकार के नियम हैं आज भी वह उत्तर प्रदेश में लागू हैं। होता यह है कि इन विषयों को ले कर भी प्रान्त मनमाने ढंग से अपनी चीज चलाते रहते हैं। अभी जब अन्न का संकट आया तो यह चीज सामने आ गई। एक प्रान्त दूसरे प्रान्त को अन्न देने में बड़ा संकोच करता है और किसी तरह पर भी इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं है कि यह एक राष्ट्र है, एक देश है, एक कंट्री है और उस के नागरिकों के साथ एक तरह का व्यवहार हो। हुआ यह है कि शुरू में जब हम ने अपने संविधान में कोई व्यवस्था रखी और उस को आगे चलाया तो आगे चलने के बाद जैसे-जैसे सरकार भाषा के आधार पर या दूसरे आधारों पर झुकती गई कभी सोलह राज्यों को ले कर कभी 25 राज्यों को ले कर, वैसे वैसे हमारे भीतर भेद बढ़ते गये। जब इस तरह की प्रवृत्ति चल रही है तब देश में एकता आ ही नहीं सकती है।

मैं निवेदन करूंगा कि इस में एक मात्र उपाय यह है कि केन्द्र मजबूत किया जाये। प्रान्तों के शासन में मैं अन्न आदि के अभाव की बात नहीं कहूंगा परन्तु जो मौलिक चीजें हैं उन के आधार पर मैं यह चीज सदन के सामने रखना चाहता हूं कि अगर आप देश में एकता चाहते हैं, आप वास्तविक-रूप में राष्ट्रीय योजना बनाना चाहते हैं खाद्य के लिये, शिक्षा के लिये कम्यूनिटी डेवेलपमेंट के लिये और कोआपरेशन के लिये तो जब तक आप प्रांतों के शासन को समाप्त नहीं करेंगे यह किसी प्रकार सम्भव नहीं हो सकता। हुआ यह है कि हम ने प्रांतों को सत्ता दी। अलग-अलग शासन चले फिर जिस तरह से हमारी सरकार के ऊपर दबाव पड़ा, खूरेजी हुई, हम प्रांतों को बढ़ाते चले गये। जिस मर्ज की दवा हुई वह दिन प्रति दिन बढ़ता चला गया।

आज जब हमारे यहां परिस्थितियों का भीषण क्रम चल रहा है तब इस में सन्देह नहीं

कि सरकार को इस का सुधार करना चाहिये लेकिन शायद ग्राज की ग्रवस्था ऐसी नहीं है जिस में यह तुरन्त किया जा सके । यह जो संशोधन विधेयक है वह ग्राज के लागू होने की चीज नहीं है, इस में समय की योजना भी है । उस के बाद ऐसा ग्रवश्य करना चाहिये । उस के बाद केन्द्र में एक मजबूत सरकार बने । जब प्रांतों प्रांतों का मनमाने ढंग से ग्रपने काम करने का तरीका एकदम समाप्त किया जायेगा तभी वास्तविकरूप में देश में एकता ग्रा सकती है, राष्ट्रीय योजना बन सकती है ग्रौर राष्ट्रीय भावना ग्रा सकती है । ग्रगर ऐसा नहीं किया गया तो हमारा देश टुकड़ों टुकड़ों में बंटता चला जायेगा ।

श्री श्रीनारायण दास (दरभंगा) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय मित्र श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने संविधान का संशोधन करने के लिये जो विधेयक उपस्थित किया है वह एक ऐसा मौलिक विषय है जिस पर थोड़े समय में विचार करना सम्भव नहीं है । जब हमारे देश में संविधान का निर्माण हो रहा था उस समय इस प्रश्न पर गम्भीरता-पूर्वक विचार किया गया था । यद्यपि सारे देश का प्रतिनिधित्व प्रजातांत्रिक ढंग से कर के संविधान सभा का निर्माण नहीं हुग्रा था, फिर भी हमारे देश के सभी प्रांतों का, सभी तरह के विभिन्न मतों ग्रौर विभिन्न विचारों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग वहां उपस्थित थे । उस में हमारा संविधान मंजूर किया गया ग्रौर सब बातों का विचार करने के बाद यह तय हुग्रा कि हमारे देश में जो हम ने सर्वसत्ता सम्पन्न प्रजातंत्रात्मक गणतंत्र का निर्माण किया है वह एक प्रकार से संघ शासन हो । लेकिन संघ शासन का जो पूरा ग्रर्थ होता है उस ग्रर्थ में हमारे देश में संघ शासन नहीं है ग्रौर न संघात्मक शासन है । हमने ग्रपने देश की ग्रवस्था को देख कर ग्रपने देश की भावनाग्रों को देख कर, ग्रपने देश की विशालता को देख कर, ग्रपने देश की विविधता को देख कर ग्रपने संविधान का निर्माण किया था । हम ने इस बात का ध्यान रखा था कि केन्द्र में इतनी शक्ति रहे कि किसी प्रकार से हमारे देश में विघटन न होने पाये । इसलिये हमारे माननीय सदस्य ने जिन भावनाग्रों से प्रेरित हो कर इस विधेयक को यहां उपस्थित किया है उन भावनाग्रों के साथ तो मैं जरूर हूं, लेकिन वह भावनायें ग्रौर वह प्रवृत्तियां जो हमारे देश में ग्रनैक्य फैलाने वाली हैं, क्षणिक हैं, ग्रस्थायी हैं ।

हम ने ग्रपने देश में सिर्फ ग्रट्ठारह वर्ष पहले प्रजातंत्र का निर्माण कर के काम करना शुरू किया है । हो सकता है कि कई कारणों से हम इस तरह की एकता ग्रपने देश में नहीं ला सके हैं जिस तरह की एकता रखना जरूरी है । लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि इतने बड़े विशाल देश में, जहां 46 करोड़ की ग्राबादी है ग्रौर यह बढ़ते-बढ़ते ग्रौर ज्यादा हो सकती है, इतने बड़े विशाल देश में जिस में विविध प्रकार की भाषायें हैं, हम ग्रपने देश में एकात्मक शासन का निर्माण कर के देश की भलाई कर सकते हैं । ग्राज हम देखते हैं कि जब यहां कुछ हिन्दी में कहा जाता है तो दूसरे लोग कहते हैं कि ग्रंग्रजी में कहो ग्रौर ग्रगर ग्रंग्रजी में कहा जाता है तो कुछ लोग कहते हैं कि हिन्दी में कहो । जब इस तरह की भावना हो तब देश की एक पालियामेंट क्या कर सकेगी । इंग्लैंड एक छोटा सा देश है, छः करोड़ की वहां ग्राबादी है, लेकिन वहां संसद की संख्या 600 के लगभग है । हमारे देश में जब एक पालियामेंट बन जायेगी ग्रौर उस में देश के हर वर्ग के लोग ग्रायेंगे तो उस में कितने सदस्य हों, इस का नियमन करना सम्भव नहीं है । ग्रगर छोटी सी पालियामेंट होगी तो वह देश का रिप्रेजन्टेशन ठीक से नहीं कर सकेगी । इसलिये मैं माननीय मित्र की भावनाग्रों की तो कद्र करता हूं लेकिन कहना चाहता हूं कि ग्राज इस बात की ग्रावश्यकता नहीं है कि हम ग्रपने संविधान में इस प्रकार का मौलिक परिवर्तन करें ।

इस के लिये एक दूसरा कारण भी देना चाहता हूं । ग्राप ग्रमरीका के संघ शासन

[श्री श्रीनारायण दास]

को लीजिये, भ्रास्ट्रेलिया के संघात्मक शासन को लीजिये । उन सभी संघात्मक शासनों से, जो दुनिया में मौजूद हैं, हमारा शासन भिन्न है । हमारे देश में एक जुडिशिअरी है, हमारे देश में एक सिविल ला है, हमारे देश में जो प्रमुख सर्विसेज हैं वह एक हैं । हमारे देश में विभिन्न राज्यों को सब मामलों में अपना निर्णय करने का अधिकार नहीं है । हम ने सीमित अधिकार प्रांतों को दे रखें हैं । हमारे संविधान में तीन सूचियां हैं । एक सूची ऐसी है जिस के सम्बन्ध में हम पार्लियामेंट में कानून बना सकते हैं, एक सूची के सम्बन्ध में राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं भ्रौर तीसरी सूची ऐसी है जिस के सम्बन्ध में समान अधिकार है पार्लियामेंट को भ्रौर राज्य सरकारों को । हम भी कानून बना सकते हैं भ्रौर राज्य सरकारें भी बना सकती हैं । मैं समझता हूं कि जिन बातों के लिये एकात्मक शासन के कायम करने की भ्रावश्यकता प्रतीत होती है उन का हमारे संविधान में बुद्धिमानी से समावेश करने की कोशिश की गई है । इसी लिये मैंने कहा कि हमारा जो संघ शासन है वह न भ्रमरीका का संघ शासन है भ्रौर न भ्रास्ट्रेलिया का संघ शासन है । हमारा जो संघ शासन है वह यूनियन भ्राफ स्टेट्स है । राज्य हमारे यहां कानून बना सकते हैं लेकिन सीमित क्षेत्रों में, भ्रौर उस के लिये भी भ्राज जो स्थिति है, जब कि सारा देश इमर्जेन्सी में है भ्रौर सारे देश में उस का प्रोक्लेमेशन हो चुका है तब किसी प्रकार का कानून पार्लियामेंट बना सकती है जिस में कि देश का शासन ठीक से चलता रहे भ्रौर लड़ाई का काम ठीक से चलता रहे ।

यहां मैं बताना चाहूंगा कि हमारे संविधान निर्माताभ्रों ने संघात्मक शासन की जो बुराइयां हो सकती थी उनको निकाल कर ऐसा बना दिया कि जो देश के लिए उपयुक्त हो ।

सब से बड़ी बात जो एकात्मक शासन पद्धति को लागू करने में भ्रड़चन पैदा करती है वह यह है कि यदि हमारे इतना विशाल देश में एकात्मक शासन लागू किया गया तो हो सकता है कि वह धीरे-धीरे तानाशाही में बदले जाए, क्योंकि एक प्रधान मंत्री यदि दिल्ली में बैठा देश की 46 करोड़ भ्राबादी पर शासन चलावे तो यह प्रजातंत्रात्मक शासन नहीं होगा, वह एक तंत्रात्मक शासन होगा जो कि प्रजातंत्र के सिद्धांत के बिल्कुल विरुद्ध होगा ।

एक बात मैं भ्रौर कहना चाहता हूं । जब डा० भ्रम्बेडकर ने ड्राफ्ट कांस्टीट्यूशन संविधान सभा में पेश किया था तो यह सवाल उठाया गया था भ्रौर उन्होंने भ्रपने भाषण में इस बात का जिक्र किया है । हमारे प्रकाशवीर शास्त्री ने उस भाषण को पढ़ा होगा भ्रौर भ्रन्य माननीय सदस्यों ने भी पढ़ा होगा । उन्होंने एक-एक बात का जिक्र करके कहा है कि हमारे यहां का संघीय शासन भ्रमरीका जैसा नहीं होगा, हमारा संघीय शासन भ्रास्ट्रेलिया जैसा नहीं होगा । हमारा एक विशिष्ट प्रकार का संघीय शासन है जिसमें भ्रवसर पड़ने पर केन्द्र को भ्रधिक से भ्रधिक शक्ति हासिल हो सकती है ।

दूसरी बात मैं यह बताना चाहूंगा कि हमारे संविधान में जितने भ्रनुच्छेद हैं तो भ्राप देखेंगे कि कुछ को साधारण तौर से हमें संशोधित करने का भ्रधिकार है, लेकिन कुछ ऐसे भ्रनुच्छेद हैं जिनमें हम प्रांतों की राय बिना संशोधित नहीं कर सकते । उन में भी यदि किसी राज्य के सम्बन्ध में संशोधन करना चाहते हैं तो उस राज्य की राय न होने पर भी देश के भ्राधे राज्यों की सहमति से हम संशोधन कर सकते हैं । इस का भ्रर्थ यह है कि हमारा संविधान लचीला है जिसमें हम देश में प्रजातंत्रात्मक ढांचे को रखते हुए संघात्मक शासन के ढांचे को रखते हुए भी संविधान में

संशोधन प्रांतों की राय के जरिए कर सकते हैं। इससे संघात्मक शासन की बुराई नहीं रहेगी।

हमारे भाई ने जो कहा कि देश में खाद्य समस्या के सम्बन्ध में या नदियों के पानी के सम्बन्ध में विशेष प्रवृत्ति है। तो मेरा कहना है कि ये क्षणिक समस्याएं हैं जिनका हल हम आसानी से कर सकते हैं। ये ऐसी बातें नहीं हैं, न इतनी गम्भीर हैं कि जिन से घबराकर हम अपने संविधान में इस प्रकार का संशोधन कर दें। यह एक व्यावहारिक चीज नहीं होगी। इस मामले में पहले देश की जनता की राय ली जानी चाहिये। संविधान में इस प्रकार का संशोधन करना मैं समझता हूं प्रजातंत्र के विरुद्ध होगा। जब भी ऐसा सवाल संसद् के सामने लाया जाए तो सब से पहले यह जरूरी है कि जनता की राय ली जाए कि जनता किस प्रकार का शासन चाहती है। ऐसा न करके संविधान में संशोधन करना प्रजातंत्र के विरुद्ध होगा और मैं समझता हूं कि अव्यावहारिक भी होगा।

अभी थोड़े समय पहले ही हम ने संविधान को लागू किया है और अगर इतनी जल्दी उसको संघीय से बदल कर एकात्मक करेंगे तो उससे जो समस्याएं पैदा होंगी उनका हल करना असम्भव होगा।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्य की भावना का आदर करते हुए इस विधेयक का विरोध करता हूं।

डा० राममनोहर लोहिया (फर्रुखाबाद): अध्यक्ष महोदय, श्री प्रकाशवीर शास्त्री के संशोधन की एक बात का मैं समर्थन करता हूं कि लोक-सभा के सदस्य चुन कर आने चाहिए और इनमें कोई नामजद सदस्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि नामजद सदस्यों से लोक का चरित्र बिगड़ जाया करता है। बाकी सब बातों के बारे में और जो संविधान में पहले से कलमें हैं, उनके बारे में मैं अपनी राय बिल्कुल अलग रखूंगा।

ये संविधान और संशोधन की कलमें "इंडिया दैट इज भारत" के सम्बन्ध में हैं। यह है क्या "इण्डिया दैट इज भारत?" टूटा हुआ, खंडित किया हुआ और कहां से निकला उसकी तरफ मैं आपका ध्यान, और इस वक्त जो सरकार शासन चला रही है इसने अपने प्रस्ताव को पास करके निकाला था, उस प्रस्ताव की तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं।

यह पास हुआ 14–15 जून सन् 1947 को। इसके कुछ अंशों को लोग बिल्कुल भूल गये हैं। सिर्फ एक दो वाक्य मैं पढ़ कर सुना दूं। उस प्रस्ताव में एक वाक्य था:

> "भूगोल, पहाड़ों और समुद्र ने हिन्दुस्तान जैसा है वैसा बनाया है और कोई मानवीय ताकत उस शक्ल को बदल नहीं सकती, या उसके भाग्य को पलट नहीं सकती"

फिलहाल एक मानवीय ताकत इस असली तस्वीर को पलटे हुए है।

उसी के साथ-साथ दूसरा वाक्य है:

> "हिन्दुस्तान की वह तस्वीर जिसे हम ने पूजना सीखा, हमारे दिलों और दिमागों में रहेगी"

यह उस प्रस्ताव में है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जिससे हिन्दुस्तान का बटवारा और तोड़ हुआ। एक तरफ हुआ "इण्डिया दैट इज भारत" और दूसरी तरफ हुआ पाकिस्तान।

और फिर एक वाक्य है:

> "दो राष्ट्रों के नकली सिद्धान्त का सभी लोग तिरस्कार [illegible]"

मैं यह समझता [illegible] कि इस प्रस्ताव में दो दिमाग काम कर रहे थे, एक दिमाग तोड़ने वाला था दूसरा दिमाग जोड़ने वाला

[डा० राम मनोहर लोहिया]

था । यह वाक्य उसमें आया है क्योंकि जोड़ने वाले दिमाग का भी कुछ उस पर असर पड़ा । इस प्रस्ताव को कम से कम कांग्रेस पार्टी के सदस्यों को हमेशा और खास तौर से आज की स्थिति में याद रखना चाहिए ।

अब सवाल यह उठता है कि यह तस्वीर हिन्दुस्तान की जिसे पहाड़ों, समुद्रों और भूगोल ने बनाया, जिसे हम ने पूजना सीखा, जो टूट गयी, वह कैसे फिर से साबुत बनायी जाये । इसमें बड़ी दिक्कत है । कई कारण हैं । लेकिन एक मुख्य कारण है कि पाकिस्तान को पल्टनी घमंड हो चला था । तो उस सम्बन्ध में मेरा कहना है कि जब एक बार मजबूर हो कर के हमें उस रास्ते पर चलना पड़ा, तब अब पाकिस्तान के पल्टनी घमंड को चूर किये बिना उस रास्ते से पलटना न हो । यह पल्टनी घमंड चूर हो जायेगा तो फिर बाकी दरवाजे खुल जायेंगे । शायद पाकिस्तान की जनता भी उसी तस्वीर को फिर से सोचने लगे जो 14-15 जून, सन् 1947 के पहले हम सारे लोगों ने मिल कर सोची थी ।

और इस सम्बन्ध में मैं चाहूंगा कि पाकिस्तान की पल्टनी चमड़ी और मांस पर खरोंच या चोट आवे उससे काम नहीं चलेगा, अब तो उस पल्टन की हड्डी टूटे इस तरह कि उसे मालूम हो ।

और आजकल युद्धविराम की बात चल रही है । मुझे इस पर कुछ नहीं कहना, कहने की मुझे ताकत नहीं है, मेरी बात चलेगी भी नहीं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जिस क्षण तक युद्ध विराम होता है, उस क्षण तक पाकिस्तान के पल्टनी घमंड को चूर करने की कार्रवाई चलती रहनी चाहिए . . .

एक माननीय सदस्य : चल रही है ।

डा० राममनोहर लोहिया : आप जरा अपने प्रधान मंत्री के यहां रोज सुबह जाकर यह सिखा आया करियेगा तो बहुत अच्छा होगा ।

और इसके साथ साथ एक बात और बताना है कि पाकिस्तान का पल्टनी घमंड चीन के घमंड के साथ भी जुड़ा हुआ है जिसका प्रमाण अभी-अभी आज सुबह हमें मिला । मैं चीन की असभ्य जबान में नहीं बोलना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि तीन वर्ष पहले जो बेइज्जती और जो जिल्लत हमें उठानी पड़ी और जिस कमजोरी के सबब से चीन और पाकिस्तान दोनों का घमंड बढ़ा है, उसको दूर करने के लिए जरूरी है कि अगर चीन हम से दो-दो हाथ करना चाहता है तो हिन्दुस्तान की सरकार और हिन्दुस्तान के लोगों को चीन के घमंड को चूर-चूर करने के लिए वैसा करना चाहिए ।

और मैं इस बात को मानता हूं कि अमरीका और रूस आखिर दुनिया के दो शक्तिशाली देश हैं, वे दुनिया में कभी ऐसी हरकत नहीं होने देंगे जो पाकिस्तान और चीन वाले मिल कर करना चाहते हैं । और अगर मान लो कि हम अकेले पड़ जाते हैं तो मैं उस देश का स्मरण दिलाना चाहता हूं कि जिसकी सरकार की मैं ने हमेशा निन्दा की है, लेकिन जिसकी जनता की हमेशा तारीफ की है और वह है इंगलिस्तान कि अकेले खड़ा रहा, तूफ़ान आते रहे, सैलाब आते रहे, पैर हिले, पैर हमारे भी हिलेंगे । कोई मामूली बात नहीं है । अगर मान लो चीन आ जाता है, अणु बम गिराये, सब कुछ गिराये, मरें, जलें हम लोग अकेले खड़े रहेंगे । बचेंगे तो दुनिया में नई तरह से जिन्दगी बसर करेंगे और अगर नहीं बचेंगे तो थोड़े दिनों के लिए खत्म हो जायेंगे ।

उसके साथ साथ एक चीज पर और ध्यान देना है कि यह पाकिस्तान वाला मामला अभी तक चल रहा है । कुछ थोड़ा बहुत डर हिन्दुओं का भी है उस को हम दूर करें । कुछ इन लोगों को यह डर है कि "इण्डिया दैट इज भारत" खत्म हो गया और

हिन्दुस्तान क़ायम हो गया तो हिन्दुओं का उस तरीक़े से राज्य नहीं चल पायेगा जैसे कि आज चल रहा है। मेरा कहना है कि यह डर ख़त्म हो जाना चाहिए, बिलकुल ख़त्म हो जाना चाहिए।

उसी के साथ-साथ एक दूसरा डर भी है। कुछ दल यह सोचते हैं कि अगर कहीं फिर यह हिन्दुस्तान क़ायम हो गया तो हमारे दल की ताक़त जोकि पिछले 17-18 वर्ष से चली आ रही है वह शायद हिल जायगी, ख़त्म हो जायेगी तो वह दलगत डर भी ख़त्म हो जाना चाहिए और अपने दिमाग़ों में उस तस्वीर की जिसकी हम ने पूजा की है फिर से उसकी पूजा करनी शुरू कर देनी चाहिए। इसलिए मैं बार-बार आप से निवेदन करूंगा कि हिन्द-पाक, हिन्द मैं गलत कह गया इंडिया, भारत-पाक के मामले में तो हम को बज्र से भी ज्यादा कठोर होना चाहिए लेकिन हिन्दू मुसलमान के मामले में फूल से भी ज्यादा मुलायम होना चाहिए। हिन्दू मुसलमान के मामले में शुरू से जनता की चलती, आप कहते हैं कि बातें होती हैं ज़रा चलाइये इस काम को। सारे देश में हिन्दू-मुसलमान मामले में कम से कम महीने में एक बार ऐसे साथ बैठ कर के मिल कर खाने की परम्परा शुरू करो। वह एक राखी, बेमतलब, वाहियात राखी जिसका कि कोई नतीजा इतिहास में नहीं निकला लेकिन जो इतिहास के चमत्कारों में रह गई है, वह हुमायुं वाली राखी, करोड़ों हिन्दू और मुसलमान एक दूसरे के राखी बांधते हों और मैं इस सम्बन्ध में जो कल बुद्ध प्रिय मौर्य ने बात कही थी, अकेले हिन्दू मुसलमानों पर लागू नहीं होती, ज़रा ब्राह्मण, चमार, ठाकुर, बनिया सब तरफ़ लागू होती है और अगर ऐसा होता है तो फिर इतनी ताक़त पैदा होगी कि जिससे यह "इण्डिया दैट इज भारत" ख़त्म होगा और उसके साथ साथ यह जो हिन्द-पाक का मामला है वह भी ख़त्म हो जायेगा।

मैं एक आख़िरी बात कह कर बैठ जाता हूं। मैं देख रहा हूं कि पलटन की यहां तारीफ़ की गई है। मैं ने भी अपने ढंग से तारीफ़ की लेकिन आज मैं चाहता हूं, पता नहीं, शायद सारी लोक-सभा की तरफ़ से मैं इस वक्त बोल रहा हूं, बोलना चाहिए था प्रधान मंत्री को, मैं आज तारीफ़ करना चाहता हूं ख़ुश्की सेना की, ख़ुश्की सेना के सेनापति जनरल चौधरी की और हवाई सेना के सेनापति एयर मार्शल अर्जन सिंह की। इन दो की ख़ास तौर से मैं तारीफ़ करना चाहता हूं जिन्होंने कि नुमायां काम कर के दिखलाया है। हिन्दुस्तान की पलटन के बारे में जिसके कि बारे में मेरा मन भी कुछ हिला था फिर से थोड़ी बहुत श्रद्धा पैदा हुई है इन दोनों को लेकर। लेकिन अभी एक बात कह दूं। मैं नहीं जानता कि लाहौर और सियालकोट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? यह पलटनी हुनर का मामला उन्हीं पर मैं छोड़ता हूं। अगर मेरी उन से दोस्ती होती तो मैं अकेले में जाकर कहता कि फलां फलां काम करो लेकिन उनसे तो मेरी दोस्ती है नहीं . . .

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अब समाप्त करें।

डा० राम मनोहर लोहिया : दो ही वाक्य कह कर मैं ख़त्म किये दे रहा हूं। थोड़ा सब्र कीजिये। मैं ख़ाली यही कह रहा था कि मैं पलटनी हुनर और सम्भावना की दृष्टि से कुछ नहीं कहना चाहता वह उन का काम है अलबत्ता अगर दोस्ती होती तो उन से अलग जाकर कहता लेकिन नीति के बारे में जरूर कुछ कहना चाहूंगा। नीति का अक्सर जिक्र हो जाया करता है। अख़बारों में, आपसी बातचीत में यह जिक्र किया गया है कि लाहौर अगर हम ने ले लिया तो वहां के 20 लाख आदमियों को खिलायेंगे कैसे? वहां पर प्रशासन का इंतज़ाम कैसे चलायेंगे? उस सम्बन्ध में नीति के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि जब एक बार मैदान में निकल पड़े तो इस तरीक़ से मन में गड़बड़ और डर नहीं रहना चाहिए। लो जिस को ले सकते हो, खिलाने पिलाने का इंतज़ाम

[डा० राम मनोहर लोहिया]

करेंगे वहां पर और अगर हटना होगा तो हटेंगे। यह एक सीधी सी बात याद रखनी चाहिए। इसलिए आख़िरी वाक्य मेरा यह है कि "इण्डिया देट इज भारत" को ख़त्म करके पाकिस्तान को ख़त्म करो और वह हिन्दुस्तान जिसकी कि तस्वीर हम ने अपने दिलों में रख कर पूजी है उसको जरा फिर से अपने दिल में ले आवो।

Mr. Deputy-Speaker: We have to close the debate at 3.30 P.M. We have only 35 minutes more.

An Hon. Member: Please extend the time. Let the debate continue.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : इस पर समय बढ़ा दिया जाये।

श्री हुकम चन्द कछवाय (देवास) : इस प्रस्ताव पर दो घंटे का समय बढ़ा दिया जाये।

Several Hon. Members: Two hours more.

Mr. Deputy-Speaker: All right Two hours more.

14.57 hrs.

[SHRI SONAVANE *in the Chair*]

Shri D. C. Sharma (Gurdaspur): After hearing the observations made by Dr Lohia, I want to say one thing. The problem in India to day is this: the unitary element should go on progressively increasing and the federal element should go on correspondingly decreasing. I think the hon. Mover of the Resolution said that he wanted this to be considered fully and thoroughly. I agree with Shri C. K. Bhattacharyya that this cannot be discussed in a light-hearted manner and cannot be decided upon on the floor of this House but that it requires a thorough examination of the whole problem. But there are certain things of which we have to take note. We try to create a classless and casteless society. We wanted to create a national ethos. Have we succeeded in that? There was an upheaval in one of the States, the name of which I do no want to mention here; I read in the papers that, behind that upheaval was a caste which had lost its power and which wanted to regain it. Of course, this applies to many other States in India. Casteism, of late, has been gaining ground in India. At the same time regionalism is also getting an upper hand over, what I may call, nationalism. Whenever there is a talk about a steel plant, everybody gets up and says, "what about a steel plant for my State". This is the voice of regionalism and regionalism is becoming rampant in this country. It is a very distressing sign. Besides, communalism has reared its ugly head again. Those of us who had heard the deliberations on the Aligarh Muslim University Bill must have noticed that a very innocent and harmless administrative measure had been misunderstood and had been interpreted in terms of the surrender of the rights of one community at the hands of another community. The approach which was made by some of us, including perhaps myself, was such that....

15.00 hrs.

Shri Kapur Singh (Ludhiana): Why 'perhaps'? My hon. friend is also included in it.

Mr. Chairman: That is his way of putting it.

The Minister of law and Social Security (Shri A. K. Sen): That is the beauty of the English language.

Shri D. C. Sharma: ....the Aligarh Muslim University Bill was a kind of challenge to the Muslim community. I would submit that it was nothing of that kind.

My own humble suggestion is this. During the last eighteen years of our

life, in spite of our best efforts, we have not succeeded in creating what I may call a national entity, which should exist in the mind of every citizen of India....

Shri Kapur Singh: Let my hon. friend say it again.

Shri D. C. Sharma: . . . and which should animate all our actions, which should electrify all our thoughts and which should guide our behaviour not only in our home but outside. This is the big problem which we are facing today.

My hon. friend was talking about history and about what happened in the days of Samudra Gupta and Chandra Gupta. They are great names, and I bow my head before them.

Shri Kapur Singh: Is the hon. Member suggesting that we should be guided out side also by our wives? I object to it. It is enough that they should guide us in the homes.

Shrimati Yashoda Reddy (Kurnool): He said, 'in our lives', and not 'wives'.

Shri D. C. Sharma: I do not know why some people are so obsessed with the idea of their wives all the time. I gave up that obsession about 34 years ago.

Mr. Chairman: The obsession should not be there with the hon. Member.

Shri D. C. Sharma: My hon. friend was referring to past history. Take the case of the British Government. They started the process of giving us provincial autonomy in the year 1920 and provincial autonomy went on increasing day by day. In 1947, the British Government had to fold up its tents and quit. The reason is this. If you give the States a taste of power, the States want more and more. The appetite feeds upon what it gets and goes on increasing its fervour for getting more and more.

Shri A. K. Sen: My hon. friend is quoting Hamlet.

Shri D. C. Sharma: I was submitting very respectfully that these were the tendencies which were gaining ground in our country, and nobody can deny that.

Here, I might refer to a declamation competition over whcih I had presided a year back. I think there were about 5000 students assembled there, the pick of youth in my country, and the subject for discussion was the same as that my hon. friend has brought up for discussion here today. I may tell you that some of those young men made fun of us. I found that they were making fun of us, because I was a Congress Member of Parliament They were making fun of us because of our river disputes, because of our boundary disputes, because of our disinclination to make education even a concurrent subject, because of our desire not to have more all-India services, because of our not having even one-third of the Members of the High Court from outside the State concerned....

Shri Kapur Singh: How can he discuss the conduct of the members of the High Court? This is too much.

Shri D. C. Sharma: I do not know what is objectionable in this. It is written there in the Constitution that in order to promote integration of the country, one-third of the members of the High Court should come from outside the State. Is it not written like that in the Constitution? I do not know why my hon. friend should try to obstruct me. So, those students made fun of us because we were giving a very sorry account of ourselves so far as national integration was concerned.

Shri A. K. Sen: Who made fun of the hon. Member?

Shri D. C. Sharma: I know that we have a movement for national integration now a days. I know that we are trying to promote national solidarity.

[Shri D. C. Sharma]

I know that this national emergency has welded us together and has brought us nearer each other, and I think India stands today one and united, and India has never had that feeling before which it is having now. I quite understand that. But the unity of India should not be created only at a time of crisis.

Dr. M. S. Aney (Nagpur): It is bound to be like that.

Shri D. C. Sharma: We should not wait for an aggression to think of this national solidarity and national unity. I think that this should become a part of our living, a part of the scheme of our life, a part of our daily thinking, daily behaviour and daily conduct. I think that that can be done only if the hon. Law Minister who is the custodian of the Constitution of our country devises some ways......

Shri A. K. Sen: Which I was.

Shri Kapur Singh: Does the hon. Minister accept the assignment that he is the custodian of the conscience of the country?

Shri A. K. Sen: He is very partial to me.

Shri D. C. Sharma: I think the Law Minister could devise some means by which he can try to put an end to or eliminate or at least diminish those tendencies which are trying to promote a kind of disunity, and try to bring about or give expression to those tendencies which try to promote national unification.

I would take the example of only one European country in this connection, namely Germany. Germany was divided into many States and each State used to be independent and self-sufficient in some way. There was one great man, namely Bismarck who brought about the unity of that country. But that units happened to be a short-lived one. Under the impact of war and other things, that unity came to nought. Now, we have two Germanys there, West Germany and East Germany. Eeverybody talks about the reunification of the two Germanys. I do not know when that day will come when the two Germanys will be united. Of course, I want the two Germanys to be united, just as my hon. friend wants India and Pakistan to be united. Of course, I also want India and Pakistan to be united, but I do not know when that day will come. But before that comes, I want that there should be a scientific approach to this problem so that those tendencies which take us away from our Indianhood could be eliminated and these factors which promote our Indianhood could be strengthened. This is the problem before us, and I think that if Government undertake a study of this kind, the purpose of the Mover of this Bill will be served and he would have done his duty well.

श्री यशपाल सिह् (कैराना) : जो बिल माननीय शास्त्री जी लाये हैं, इसके लिए मैं उनको मुबारिकबाद पेश करता हूं । चूंकि इस समय भारत की एकता को कायम रखना है इस वास्ते सब से बड़ी बात यह है कि केन्द्र मजबूत हो भ्रौर जितनी छोटी छोटी स्टेट्स हैं वे सब समाप्त कर दी जाएं भ्रौर उनके स्थान पर एक स्टेट बने । छोटी छोटी स्टेट्स जितनी होती हैं, उतने ही हम लोग गैर महफूज होते हैं भ्रौर गैर महफूज रहेंगे । जिन देशों के भ्रन्दर भ्रच्छा इंतजाम है, जिन देशों के भ्रन्दर घी दूध की नदियां बहती हैं रुपये पैसे की कोई कमी नहीं है मसलन भ्रमरीका, कनाडा भ्रादि, व देश इस तरह की चीज को बरदाश्त कर सकते कि उनके देश छोटी स्टेट्स में बंट रहें । हमारा देश भ्राज जिस हालत में से गुजर रहा है, उसको देखते हुए मैं कहता हूं कि पांच स्टेट्स के बजाय एक ही यहां सैंट्रल गवर्नमेंट होनी चाहिये । जो हालात

ग्राज दरपेश है उनका एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट मुकाबला कर सकती है। ग्रलग ग्रलग गवर्नमेंट्स, ग्रलग ग्रलग तरीके ।

इसी हाउस में माननीय सुब्रह्मण्यम् साहब ने यह कहा था कि बिहार के बोर्डर से एक चावल का दाना भी चीन को नहीं जा रहा है । लेकिन बिहार की ग्रसेम्बली में माननीय मुख्य मंत्री श्री कृष्ण बल्लभ सहाय ने यह कहा है कि वाकई चावल जा रहा है चीन को । व्यापारी लोग वहां एक बोरी चावल दे ग्राते हैं ग्रौर एक तोला सोना ले ग्राते हैं ग्रौर मैं इसे ग्रभी तक रोक नहीं सका हूं । हर स्टेट में यही हालत है । सेंटर कुछ ग्रौर कहता है, स्टेट गवर्नमेंट कुछ ग्रौर कहती है । उत्तर प्रदेश के 52 जिले हैं । वहां कांग्रेसियों में ग्रापस में कुर्सियों के लिए लड़ाई चल रही है । वहां ग्रापस की पार्टीबाजी है ग्रौर सारा समय इसी में चला जाता है । इसका नतीजा यह होता है कि करोड़ों रुपया लैप्स हो जाता है, न उत्पादन बढ़ता है, न फैक्ट्रीज का प्रोडक्शन ग्रौर न ही कोई नई इंडस्ट्रीज लगती हैं । इस हालत में ग्रौर कोई उपाय नहीं है । हमारा बहुत बड़ा देश है । इसको चलाने का एक ही तरीका है । ग्राज देश के ऊपर संकट है ग्रौर चारों तरफ से संकट की घटायें छाई हुई है । हमें चाहिये कि हम एक सूत्र में बंध कर एक पहाड़ की तरह से, एक स्तम्भ की तरह से खड़े हो जायें । इस देश में इस तरह की बात को देख कर मजाक मालूम होता है या ग्राप कह सकते हैं कि हंसी ग्राती है कि सहारनपुर में जो गेंहू 55 रुपये मन बिकता है वहां से ग्रागे चल कर ग्यारह मील के फासले पर 16 रुपये मन बिकता है । ग्यारह मील में दो भाव, दो रेट । इस तरह की जो चीजें हैं, इन पर तभी कंट्रोल किया जा सकता है जब कि एक ही सैंट्रल गवर्नमेंट कायम हो । जिस दिन हम ग्रपने गए हुए इलाके को वापिस ले लें, जो इलाका हमारी कमजोरी ग्रौर बुजदिली के कारण चला गया है, उसको वापिस ले लें, जो हमारी गलत पालिसी की वजह से चला गया है, उस को वापिस ले लें ग्रौर जिस दिन पाकिस्तान के साथ हम निपट लें तब हम ये जो चीजें हैं स्टेट्स की इन पर विचार कर सकते है । ग्राज से तीन साल पहले इसी हाउस में मैंने कहा था कि पास्तिान ग्रौर हिन्दुस्तान का मसला एक ही तरह से हल हो सकता है, इसका ग्रौर कोई हल नहीं है, सिवाय रियूनियन के, ग्रखंड हिन्दुस्तान के, पुर्नमिलन के, पुन-निर्माण के । यह काम तभी हो सकता है जब एक ही स्टेट गवर्नमेंट यहां हो ।

मैं निर्भीकता के साथ कहना चाहता हूं कि ग्रलग लग्रग स्टेट्स में ग्राप माइनोरिटीज को गुलाम बना कर रखना चाहते हैं । ग्रगर एक स्टेट होगी तो माइनोरिटीज को गुलाम बनाने का कोई जरिया उसके पास नहीं रहेगा ।

जब हमें एक जुट हो कर काम करना चाहिये था उस वक्त हमने उत्तर प्रदेश में देखा है, बिहार, उड़ीसा ग्रादि में देखा है, बंगाल में देखा है कि कांग्रेस गवर्नमेंट जो यह दावा करती है कि हमने एक सूत्र में सब को पिरा रखा है, केरल के ग्रन्दर इसी के ग्राद-मियों ने इनके खिलाफ वोट दिये, कांग्रेस के मेम्बरों ने कांग्रेस ही के खिलाफ वोट दिये ग्रौर कांग्रेस ग्रपने घर को सम्भाल नहीं पाई, उसको सम्भाल कर नहीं रख सकी ।

महात्मा गांधी जो चाहते थे वही हो कर रहेगा । जब वह होगा तभी देश ग्रागे बढ़ सकता है । गांधी जी ने कहा था :

'I would not accept the partition of India even if the whole country were to go in flames'.

लेकिन कुर्सी के दीवानों ने, जो राज्य के पीछे थे, उन्होंने गांधी जी की बात को नहीं माना ग्रौर उसका नतीजा यह है कि ग्राज हम पछता रहे हैं । ग्रगर हमने ग्रपने देश की ताकत को पंचशील में खत्म न किया होता, ग्रलग ग्रलग पार्टी ग्रौर दल बन्दी में खत्म न किया

[श्री यशपाल सिंह]

होता, अगर हमने शक्ति की उपासना की होती और देश की रक्षा के लिए ताकत की पूजा की होती, तो आज हमें यह बुरा दिन देखने को न मिलता। पन्द्रह बीस दिन की लड़ाई कुछ माने नहीं रखती है। आज हिन्दुस्तान डिफीटिड नेशन लगता है और चीन के बन्दरों ने, चीन के मेंढकों ने हमारी सरहदों को पार कर लिया है और हमारे हिमालय को अपमानित किया है। इस सब का निराकरण करने का एक ही तरीका है कि अलग अलग स्टेट्स न रह कर सेंट्रल गवर्नमेंट हो। जो इलाका हमारा हमारे हाथ से चला गया है और जिसे हमें वापिस लेना है और जो हमारी कमजोरी से गया है, जब वह हम वापिस ले लें तो उस वक्त बैठ कर हम यह राय कायम कर सकते हैं कि हमारे देश में, 15, 16 या बीस स्टेट्स हों। लेकिन आज तो हमें अपनी सारी ताकत को कंसेंट्रेट करना है और हमें चाहिये कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ मजबूत करें।

अलग अलग बोलियां बोली जाती हैं राजस्थान की असेम्बली में बोलते हुए एक मिनिस्टर ने कहा था कि हिन्दुस्तान के ऊपर कोई हमला नहीं हुआ है, कोई आक्रमण नहीं हुआ है। यह ठीक नहीं है। हमारा 45 करोड़ की आबादी वाला देश है। वाकई जब तक पाकिस्तान के मिलिटरी प्राइड को खंडित नहीं किया जाएगा, जब तक पाकिस्तान के इस मिलिटरी प्राइड को चूर नहीं किया जाएगा, उसके सैनिक अभिमान को चूर नहीं किया जाएगा तब तक हमारा देश न बच सकता है और न हमें चैन मिल सकती है। ठीक है पंचशील के लिए भी जगह हो सकती है। ठीक है देश के अन्दर प्रेम के लिए, सद्भावना के लिए भी जगह हो सकती है। लेकिन मिटी हुई नेशन कभी सद्भावना और शील कायम नहीं रख सकती है। यह संसार "बीर भोग्या बसुंधरा" है। इसको बीर भोगते हैं। गीता माता का हुक्म है :

संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते।

इस अपमान की जिन्दगी से मौत अच्छी है, जिल्लत के जीवन से मृत्यु बेहतर है। इसके सिवा कोई चारा नहीं है।

अलग अलग स्टेट्स में आज अलग अलग खिचड़ी पक रही है, अलग अलग बाजे बज रहे हैं। उन बाजोंको मिटाने का एक ही तरीका है कि सेंटर को मजबूत किया जाए।

एक सवाल रह जाता है जिस पर गौर नहीं हुआ है। भाई भतीजों का क्या होगा इनको सरकार कहां एकोमोडेट करेगी। इनको एकोमोडेट करने का रास्ता खुला हुआ है। नेफा में, लद्दाख में, काश्मीर में, गिलगित में ले जा कर इनको एकमोडेट किया जाए, इनकी तनख्वाह कम नहीं की जाएगी। परन्तु इनको पौरुष दिखलाना पड़ेगा, पराक्रम दिखलाना पड़ेगा, बाजू का बल दिखाना पड़ेगा। राज ऐसे ही लोग करते हैं। पंचशील से राज नहीं होता है। शक्ति से राज होता है। राज वे करते हैं जिन की छाती में ब्रह्मचर्य का लोहा होता है, आंखों में देशभक्ति का तेज होता है, बाहों में अकाल पुरुष का बल होता है। लैक्चरों से आज पाकिस्तान और चीन का मसला हल नहीं हो सकता है। 18 साल में अगर हमने निर्माण किया होता तो 45 करोड़ की यह नेशन अपनी विजय पताका लहरा सकती थी। 18 साल में हमने निर्माण नहीं किया। बिस्मार्क अपने जमाने का सब से बड़ा आदमी हो गुजरा है और आज भी उसके लफ्जों में मुझे कहना पड़ता है :

'Not by parliamentary speeches of majority votes are mighty questions of state solved, but it is through a policy of blood and iron'.

भारत का बच्चा बच्चा फौजी हो कर निकलेगा खून का बदला खून से लिया जाएगा, टिट

फार टैट होगा, ब्लड फार ब्लड, इंजरी फार इंजरी । जब ऐसा होगा तब देश के आत्म-सम्मान की रक्षा हो सकेगी । सत्तरह सालों के अन्दर जो कुछ सरकार ने किया उसका नतीजा डिफीट निकला, शिकस्त निकला, पराजय निकला । सरकार को अपनी पालिसी बदलनी पड़ेगी । किला लोचपोच हो चुका है । इस पालिसी की बुनियाद को आपको बदलना पड़ेगा । यह पालिसी जो पंचशील की है नहीं चल सकती है, नान-एलाइनमेंट की है नहीं चल सकती है । पालिसी चलेगी, शक्ति संग्रह की । विजयी की पूजा होगी, अम्बर चर्खे की पूजा नहीं होगी । शस्त्र की पूजा होगी, तलवार की पूजा होगी, ताकत की पूजा होगी । एटम बम आपको बनाना पड़ेगा अगर नहीं बना सकते हैं तो लेना पड़ेगा, किसी मित्र राष्ट्र से लेना पड़ेगा । बगैर एटम बम और हाइड्रोजन बम के इस भूमि की आप रक्षा नहीं कर सकते हैं । मैं चाहता हूं कि हमारे शास्त्री जी इस बात को मान लें कि पांच जोंज के बजाय, पांच स्टेट्स जो वह चाहते हैं, उनके बजाय एक अकेली सेंट्रल गवर्नमेंट का यहां प्रभाव कायम हो, केन्द्रीय सरकार एक ही कायम हो । वह डट कर लोहा ले । तब पाकिस्तान भी पीछे हट सकता है, चीन भी पीछे हट सकता है । यह काम गीत से नहीं, रेजोल्यूशन पास करने से नहीं बल्कि बच्चे बच्चे के अन्दर गुरु ग्रंथ साहब की सच्ची स्पिरिट भर कर ही हो सकता है, क्षत्रिय धर्म की तालीम दे कर ही हो सकता है । बच्चों को आपको सिखलाना पड़ेगा कि ताकत से वे जीवन बितायें । हिमालय की रक्षा वह कर सकेगा जिसका चरित्र हिमालय की तरह मजबूत होगा, जिस का स्वास्थ्य हिमालय की तरह से दृढ़ होगा । हिमालय की रक्षा बातों से नहीं हो सकती है । गलत पालिसी जो आपकी है उसको आप त्यागें । आज जो संकट है वह सरकार का खड़ा किया हुआ है । सरकार ने देश को पनपने नहीं दिया । दुनिया फौजी तालीम दे रही थी ये अम्बर चर्खे की तालीम दे रहे थे । दुनिया अपने देशों को सुदृढ़ कर रही थी यहां पर कलचरल प्रोग्राम्स में करोड़ों रुपया बहाया जा रहा था । जब चीन की ललनायें राइफल ले कर चल रही थी उस वक्त इस सरकार ने अपने बच्चों को कलचरल प्रोग्राम की तालीम दी, नाच और गाने की तालीम दी । उस को छोड़ कर जरूरत यह है कि गीता माता द्वारा बताये गए सच्चे रास्ते को हम अपनायें ।

सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् ।
धर्म युद्ध के सिवा कोई रास्ता नहीं है ।

जो बिल माननीय शास्त्री जी ने पेश किया है, उसके लिए मैं उनको मुबारिकबाद देता हूं और उन से मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हर्गिज हर्गिज वह इस बिल को वापिस न लें चाहे उनके ऊपर कितना दबाव क्यों न पड़े ।

श्री सिंहासन सिंह (गोरखपुर) : सभापति महोदय, अभी जो विधेयक सदन के सामने उपस्थित है उस पर बोलते हुए मुझ से पूर्व वक्ता जोश में आ कर विधेयक के बाहर बोल गये । जोश का समय आज कल है लेकिन जोश में आ कर आदमी होश को भूल जाता है । हम ने जो संघीय सरकार बनाई है वह हमने ब्रिटिश शासन की विरासत पाई है । ब्रिटिश शासन में एकात्मक शासन था, यूनिटरी शासन था, संघ शासन नहीं था । सन् 1935 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रथम बार गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट में यह कल्पना की कि भारत में संघ बनाया जाये । लेकिन सन् 1935 से ले कर 1947 तक, जब भारत स्वतंत्र हुआ, वह संघात्मक सरकार की योजना नहीं बना पाई । किसी कारण से हो वह नहीं चल सकी । सन् 1947 में हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का बटवारा हुआ और देश के दो हिस्से हो गये । इस के लिये बड़े अच्छे शब्दों में डा० लोहिया ने एकीकरण की अपील की है और एक विचार प्रकट किया है । लेकिन उस वक्त हमें जो मिला वह एकात्मक शासन

[श्री सिंहासन सिंह]

था । हम ने एकात्मक शासन को ब्रिटिश सरकार से पाया । सन् 1950 में जब हमने अपना संविधान लागू किया तो प्रथम बार संविधान के आधार पर हम ने संघात्मक शासन की व्यवस्था की । हम ने मिल कर उस संघात्मक शासन व्यवस्था में अपने अधिकारों को कई भागों में विभक्त किया । कुछ अधिकार हमारे ऐसे हैं जो देश के लिये डाइरेक्टिव कह कर लागू किये जायें यह हमने कहा । लेकिन चूंकि हमने संघीय शासन के आधार पर शासन व्यवस्था में उन डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लागू करने या न करने का काम राज्यों पर छोड़ा । इस का परिणाम यह हुआ कि आज तक वह डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्ज कागज पर ही रह गये और लागू नहीं हुए ।

15.20 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*].

उदाहरण के लिये शिक्षा को ले लीजिये । इस समय आवश्यकता थी कि हर एक लड़का कम से कम प्राइमरी हद तक शिक्षा प्राप्त करे । डाइरेक्टिव्ज में यह है कि स्टेट्स इस बात का प्रयत्न करेंगी कि दस वर्ष के अन्दर सारे राज्यों में उन की शिक्षा व्यवस्था हो जाये । लेकिन आज दस के बजाय अठारह वर्ष हो गये परन्तु किसी राज्य में ऐसा नहीं हो पाया । दिल्ली में एक कानून जरूर पास किया गया कि प्राइमरी तक की शिक्षा कम्पल्सरी होगी । यह भी कहां तक हो पाया है मैं नहीं जानता । अगर यह शिक्षा की व्यवस्था केन्द्रीय सरकार के हाथ में होती तो यह बात शायद पूरी हो जाती । आज केन्द्रीय सरकार प्रान्तीय सरकारों को सहायता देती है कि वह शिक्षा का प्रसार करें । लेकिन वह लोग कोई न कोई मजबूरी दिखला कर, रुपये की कमी दिखला कर उस शिक्षा का प्रसार नहीं कर रही हैं । वैसे ही प्राहिबिशन की बात है । हमारे संविधान के आर्टिकल 45 में है कि हमारे देश के अन्दर प्राहिबिशन लागू होना चाहिये । लेकिन उसका लागू करना या न करना प्रदेश सरकारों के हाथों में चला गया । केन्द्रीय सरकार के हाथ में वह नहीं है । आप ने प्राहिबिशन कमेटी बनाई । उस की रिपोर्ट आई । आज कल जो नेपाल में हमारे राजदूत हैं उन की रिपोर्ट आई कि सन् 1965 तक सारे देश में प्राहिबिशन सम्पूर्ण रूप से लागू हो जाना चाहिये । लेकिन परिणाम क्या हुआ । मेरे बगल में जो भाई बैठे हैं उन को प्राहिबिशन के नाम से खतरा हो गया । परिणाम हुआ कि प्राहिबिशन उत्तरोत्तर आगे ही बढ़ता चला गया ।

इस प्राहिबिशन के बारे में मैं आप को बतलाऊं कि सन् 1914 में जब पहला महायुद्ध शुरू हुआ तो उस समय लायड जार्ज चांसलर आफ एक्स्चेकर थे ग्रेट ब्रिटेन में । उन के सामने जहाज चलाने वालों ने जा कर कहा कि जर्मन यू बोट हमें उतनी क्षति नहीं पहुंचा रही हैं जितना कि शराब कर रही है । शराब पी कर कार्यकर्ता लोग ढीले पड़ जाते हैं और कार्य नहीं हो पाता है । आप इस को बचाइये । उन्होंने मांग की अगर आप चाहते हैं कि हम जीतें तो शराब का पीना बन्द कराइये । लायड जार्ज ने शराब का टैक्स 6 पौंड फी बैरल से बढ़ा कर 28 पौंड फी बैरल कर दिया और जा कर जार्ज फिफ्थ से आज्ञा ली कि जार्ज फिफ्थ लड़ाई के दौरान शराब नहीं पीयेंगे । इस बात की व्यवस्था करने के लिये कहा कि महल के अन्दर शराब नहीं जायेगी । जार्ज फिफ्थ ने कहा कि जब तक लड़ाई चलेगी मैं शराब नहीं पीऊंगा और मेरे मकान में शराब नहीं आयेगी । लायड जार्ज ने इस का एलान किया । उस समय ऐस्क्विथ प्राइम मिनिस्टर थे । उन्होंने इस को बुरा माना । उन्होंने कहा कि देश बरबाद हो रहा है और तुम शराब के लिये बुरा मानते हो । नतीजा यह हुआ कि ऐस्क्विथ को जाना पड़ा और किसी तरह से शराब को रोका गया । हमारे यहां स्थिति क्या है । चूंकि शराब को रोकने न रोकने की व्यवस्था प्रदेशों के ऊपर है इसलिये प्रदेश सरकारें कहती हैं अगर हम शराब को रोक दें तो हमारी आमदनी कम

हो जायेगी। केन्द्र इस बात का जिम्मा ले कि जो हमारी ग्रामदनी कम होगी उसे वह पूरा करेगा। अगर यह केन्द्रीय सरकार का विषय होता तो केन्द्रीय सरकार उस को अपनी जिम्मेदारी पर रोकती। आज स्टेट्स उस को बन्द नहीं करती हैं। यही नहीं, जब सन् 1962 में चाइना ने हमला किया तो जहां पर प्राहिबिशन चल भी रहा था वहां से भी उसे उठा लिया गया और हमारे भाइयों को शराब पीने की सुविधा मिली। हमारे यहां उत्तर प्रदेश में तीन जिले जो उस समय शुष्क थे वह तर हो गये। आमदनी के लिहाज से हमारे उल्टे खयाल होते हैं क्योंकि भिन्न भिन्न मत अलग अलग राज्यों में हैं। एक नियम चालू नहीं हो सकता है।

यही हाल शिक्षा का है। यहां पर शिक्षा मंत्री का हवाला दिया गया। यूनिवर्सिटी एजुकेशन चार यूनिवर्सिटीज को छोड़ कर जो कि राष्ट्रीय यूनिवर्सिटियां कहलाती हैं, जैसे अलीगढ़ है, हिन्दू विश्वविद्यालय है, विश्व भारती है और दिल्ली है, विश्वविद्यालयों की शिक्षा प्रदेश सरकारों के हाथ में है। यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमिशन रुपया देता है और कहता है कि इतना ही रुपया राज्य दे। उस का प्रबन्ध प्रदेश सरकारें कर नहीं पाती हैं। परिणाम यह होता है कि जो रुपया केन्द्र द्वारा दिया जाता है उस का उपयोग नहीं हो पाता। अभी कम से कम कोई व्यवस्था इस प्रकार की नहीं है हमारे संविधान में कि शिक्षा केन्द्रीय विषय हो। केवल इमर्जेन्सी के कारण यह अधिकार आ सकता है। वैसे किन्हीं किन्हीं बातों में अधिकार है जैसे कि हाई कोर्ट्स में जजेज का अप्वाइंट करना। खाद्य का विषय ले लीजिये। खाद्य के वास्ते हमारे देश में कोई राष्ट्रीय व्यवस्था नहीं है। खाद्य के वास्ते प्रान्तीय व्यवस्था कर दी गई है। एक राज्य में ही यह देखने में आता है कि कहीं पर तो अन्न का भाव 55 रु० है तो कहीं पर 80 रु०। हमारे प्रधान मंत्री ने कहा था कि यह सारा एक देश है इसलिये एक जैसी खाद्य व्यवस्था होनी चाहिये। लेकिन प्रदेशों में मुख्य मंत्रियों ने अपनी सत्ता को कायम रखने के लिये प्रधान मंत्री को लिखा कि खाद्य की व्यवस्था अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग रहेगी। खाद्य की एक व्यवस्था नहीं हो सकती।

ऐसी सूरत में परिस्थितियों का तकाजा है जो विल आया है उस पर ठीक से विचार किया जाये और लोगों की राय जानी जाय। मैं श्री प्रकाशवीर शास्त्री से अनुरोध करूंगा कि जिस रूप में विधेयक को सदन के सामने उपस्थित किया गया है उस को जनमत संग्रह के लिये भेजने की बात मान लें। पहले यह विधेयक जाय जनमत संग्रह के लिये और उस के बाद सदन में उस पर फिर से विचार हो। अभी उन्होंने कुछ आदमियों की राय पढ़ कर सुनाई। लेकिन हम जो आमूल परिवर्तन करने जा रहे हैं उस के लिये यहां के लोगों की राय भी हम जान लें कि जो एकीकरण की बात रोज उठती है उस को देखते हुए, एकात्मक राज्य व्यवस्था की आवश्यकता है या संघात्मक राज्य व्यवस्था की। कारण यह है कि हम आज कल आपत्तिकाल से गुजर रहे हैं और संघीय व्यवस्था से काम कर रहे हैं। उसमें परिवर्तन लाना कहां तक उचित होगा।

इस समय साढ़े तीन बज रहे हैं और प्रधान मंत्री आने वाले हैं। श्री शास्त्री का यह बिल अब अगले सेशन तक तो आयेगा ही इसलिये मैं उन से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह इस समय इस को जनमत संग्रह के लिये जाने दें। क्योंकि इस के अन्दर कितनी ही धारायें ऐसी हैं जिन में परिवर्तन किया जा सकता है। मसलन जो समय लिखा है उस को कम किया जा सकता है। जब पंडित पन्त गृह मंत्री थे तब उन्होंने राज्यों का भाषावार बटवारा कराया। लेकिन उन्होंने सोचा कि जब भाषावार प्रान्त बनेंगे, तब उन में आपस में झगड़ा हो सकता है। इसलिये उन्होंने

[श्री सिंहासन सिंह]

देश के पांच बड़े बड़े जोन बनाये। उस समय कुछ भाइयों की यह भावना थी कि जो गवर्नर हैं उन को कम कर के पांच जोनल गवर्नर बनाये जायें ताकि देश में एकीकरण आये। लेकिन अब होता यह है कि एक साल में दो तीन दफे जोन्स की बैठक हो जाती हैं। हमारे होम मिनिस्टर उस पर प्रेजाइड कर लेते है और बात सत्म हो जाती है। नतीजा होता है कि जो जोनल सिस्टम है उस से कोई लाभ नहीं होता है। मैं समझता हूं कि अगर प्रदेशों के बजाय जोन्स का आधार हो तो हमारा उद्देश्य बहुत कुछ पूरा हो सकता है।

15.29 hrs.

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

अभी नदी के बारे में बंगलोर कांग्रेस में प्रस्ताव आया था कि नदियों के पानी को ले कर राज्यों में झगड़ा होता है इसको कैसे मिटाया जाये। ऐसा लगता है कि हर एक राज्य अपने अपने को स्वतंत्र मानने लगा है और नदियों का झगड़ा ऐसे होता है जैसे कि पाकिस्तान और हिन्दुस्तान का झगड़ा हुआ था, जिसमें वर्ल्ड बैंक आया था, उसने रुपया दिया था और हम को भी रुपया देना पड़ा था। आज जो लाहौर के सामने नहर बनी हुई है, कहा जाता है कि वह उसी रुपये से बनी है और एंटी टैंक केनाल के रूप में काम कर रही है।

पाकिस्तान और हिन्दुस्तान का यह झगड़ा तो समझ में आता है क्योंकि ये अलग अलग देश हैं, लेकिन देश के अन्दर एक राज्य जैसे मद्रास अपना पानी आन्ध्र में न जाने दे या मैसूर अपना पानी आन्ध्र में न जाने दे, इस प्रकार के झगड़े तो नहीं होने चाहिए। इन को रोकने की कोई व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए।

15.30 hrs.

STATEMENT RE: CHINESE NOTE

The Prime Minister and Minister of Atomic Energy (Shri Lal Bahadur Shastri): I want to inform the House that this morning we received a communication from the Chinese Government demanding that within three days we should dismantle our defence installations which they allege are located on their side of the border in Tibet across the Sikkim border. I might for the benefit of the House, read out the relevant portions of the communication, although I would be placing the communication and our reply on the Table of the House.

"In its notes the Indian Government continues to resort to its usual subterfuges in an attempt to deny the intruding activities of Indian troops along the Sino-Indian boundary and the China-Sikkim boundary. This attempt cannot possibly succeed. Since ceasefire and troop withdrawal were effected along the Sino-Indian border by China on her own initiative in 1962, Indian troops have never stopped their provocations and there have been more than 300 intrusions into China either by ground or by air. The Chinese Government has repeatedly lodged protests with the Indian Government and served warnings to it, and has successively notified some friendly countries. The facts are there, and they cannot be denied by the Indian Government by mere quibbling. Moreover, the Chinese Government has four times proposed the Sino-Indian Joint Investigation into India's illegal construction of military works for aggression on the Chinese side of the China-Sikkim boundary, but has each time been refused by the Indian Government. Now the Indian Government pretentiously says that the matter can be settled if only an independent and neutral observer should go to the border to see for himself. It further shamelessly asserts that Indian troops have never crossed the Sikkim-China boundary which has been formally delimited, and that India has not built any military works either on the Chinese side of the border or on the border itself. This is a bare-faced lie. How can it hope to deceive anyone?